रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274051
CG-DL-E-03072026-274051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948
No. 481]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सा.का.नि. 539(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज विनिमय नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;

(ख) "परीक्षण अभिकरण" से राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता-प्राप्त और खनिज विनिमय द्वारा सूचीबद्ध या

मान्यता-प्राप्त कोई भी तृतीय-पक्ष अभिकरण अभिप्रेत है जो वस्तुओं के नमूनों के संग्रह, तैयारी, परीक्षण, विश्लेषण और दस्तावेजीकरण के लिए है;

(ग) "प्राधिकरण" से भारतीय खान ब्यूरो अभिप्रेत है;

(घ) "बोली" से वह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसके द्वारा खनिज विनिमय का कोई सदस्य किसी संविदा के संबंध में मूल्य, मात्रा, क्वालिटी या कोई अन्य विनिर्देश प्रस्तुत करता है, जिसके लिए वह संव्यवहार करना चाहता है;

(ङ) "बोर्ड" से खनिज विनिमय का निदेशक मण्डल अभिप्रेत है;

(च) "उप-नियमों' से खनिज विनिमय में प्रबंधन और व्यापार के प्रयोजनों के लिए खनिज विनिमय द्वारा तैयार किए गए बुनियादी ढांचे से संबंधित उपबंध अभिप्रेत हैं, जो प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित हैं;

(छ) 'कार्टिलाइज़ेशन' से उन बाज़ार सहभागियों का कृत्य अभिप्रेत है, जिसके अधीन वे वस्तुओं के भंडारण, ढुलाई, वितरण, विपणन, विक्रय, मूल्य, व्यापार या संव्यवहार को सीमित या नियंत्रित करते हैं अथवा सीमित या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं;

(ज) "ग्राहक" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जिसने खनिज विनिमय के किसी सदस्य के साथ ऐसे सदस्य के माध्यम से व्यवहार करने के प्रयोजन से करार किया है;

(झ) "सर्कुलर व्यापार" का अर्थ और संबंध किसी सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा किए जाने वाले व्यापार और संव्यवहारों से है, जिसके अधीन वस्तु की कीमत में छल साधन करने या कृत्रिम बाजार बनाने या सिस्टम को धोखा देने या दुरुपयोग करने के प्रयोजन से ऐसे सदस्य या समूह की एक या एक से अधिक इकाइयां क्रय बोलियां प्रस्तुत करती हैं और दूसरी ओर, उसी सदस्य या समूह की एक या एक से अधिक इकाईयां विक्रय बोलियां या इसके विपरीत प्रस्तुत करती हैं;

(ञ) "समाशोधन" से खनिज विनिमय में संव्यवहार के बंद होने के परिणामस्वरूप, खनिज विनिमय के सदस्यों की बाध्यताओं के अवधारण की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ट) "वस्तु'' से, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न, सभी खनिज, उनके सांद्र या उनके संसाधित रूप (धातुओं सहित) अभिप्रेत हैं;

(ठ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;

(ड) "संविदा" से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई भी वितरण-आधारित संविदा अभिप्रेत है जो खनिज विनिमय पर संव्यवहार के लिए उपलब्ध है;

(ढ) "निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (34) में यथा परिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;

(ण) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(त) "स्वतंत्र निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (47) में यथा परिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;

(थ) "अंदरूनी व्यापार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी अंदरूनी सहित किसी भी व्यक्ति को कोई भी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना का संचार करना, प्रदान करना, या इस तक पहुंच की अनुज्ञा देना, इसके सिवाय जहां ऐसा संचार विधि-संगत प्रयोजनों का प्रोत्साहन हो, कर्तव्यों के प्रदर्शन या विधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हो; या

स्पष्टीकरण 1.—उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "अंदरूनी" से निम्नलिखित व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(अ) जो, अपने अधिकारियों के साथ नियमित संचार के कारण से या किसी संविदात्मक, वैश्वासिक या रोज़गार संबंध में होने के कारण या खनिज विनिमय का निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी होने से या खनिज विनिमय के साथ व्यावसायिक या कारोबारी संबंध सहित किसी स्थान के ग्रहण होने से चाहे अस्थायी या स्थायी हो, जो ऐसे व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खनिज विनिमय पर संव्यवहारों के विषय में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना तक पहुंच की अनुज्ञा देता है,सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी क्षमता में, संबंधित घटना से छह मास पूर्व के दौरान,खनिज विनिमय के साथ संबद्ध है या रहा है;

(आ) जो खनिज विनिमय पर संव्यवहारों के विषय में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना के लिए अधिकृत है या जिसकी इस तक पहुंच है; या

(इ) जिसने देश में समय-समय पर लागू किसी भी विधि के अधीन अपराध करके अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना प्राप्त की हो;

स्पष्टीकरण 2.—उप-खंड (i) और (ii) के प्रयोजनों के लिए, "अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना" से खनिज विनिमय पर संव्यवहारित संविदा से जुड़ी कोई भी ऐसी सूचना अभिप्रेत है, जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं है और जो आम तौर पर उपलब्ध होने पर, ऐसी संविदा की कीमत पर बड़ा असर डाल सकती है और इसमें आम तौर पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा से जुड़ी जानकारी सम्मिलित होगी, लेकिन यह सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं है।

(ii) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर, खनिज विनिमय पर ऐसी संविदा को प्राप्त करने या पूरा करने के लिए, जिससे वह सूचना संबंध रखती है, किसी व्यक्ति को संस्तुत करना;

(द) "प्रबंध निदेशक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) में यथा परिभाषित निदेशक अभिप्रेत है;

(ध) "बाज़ार" से ऐसा प्लेटफ़ॉर्म अभिप्रेत है जहां क्रेता और विक्रेता खनिज विनिमय के माध्यम से वस्तुओं का क्रय या विक्रय करते हैं;

(न) "बाजार छलसाधन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी भी बाजार सहभागी द्वारा खनिज विनिमय पर कोई संव्यवहार करना, जो—

(अ) किसी भी संविदा की आपूर्ति, मांग या कीमत के बारे में झूठा या भ्रामक संकेत देता है, या देने की संभावना है;

(आ) खनिज विनिमय के किसी भी सदस्य या ग्राहक द्वारा, समान वस्तु प्राप्त करने के पात्र अन्य लाभार्थियों को आपूर्ति कम करते हुए, अपेक्षाकृत अधिक विक्रय मूल्य प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना;

(ii) मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करना जो किसी संविदा की आपूर्ति, मांग या मूल्य के बारे में गलत या भ्रामक संकेत देती हो या देने की संभावना हो;

(प) “बाज़ार सहभागियों” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(i) खनिज विनिमय;

(ii) खनिज विनिमय के सदस्य;

(iii) ग्राहक;

(iv) परीक्षण अभिकरण;

(v) खनिज विनिमय में संव्यवहार करने वाला कोई दूसरा पक्ष; और

(vi) प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य इकाई;

(फ) "सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे खनिज विनिमय के इन नियमों, उप-नियमों तथा कारोबारी नियमों के अनुसार व्यापार का अधिकार या समाशोधन अधिकार अथवा दोनों अधिकार प्रदान किए गए हैं;

(ब) "निवल मूल्य" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (57) में यथा परिभाषित निवल मूल्य अभिप्रेत है;

(भ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(म) "निपटान" से खनिज विनिमय में किसी संव्यवहार के समापन के परिणामस्वरूप सदस्यों या ऐसे सदस्यों के ग्राहकों के दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(य) "निपटान गारंटी निधि" से खनिज विनिमय द्वारा सृजित और अनुरक्षित निधि अभिप्रेत है, जिसका उपयोग उसके सदस्यों अथवा ऐसे सदस्यों के ग्राहकों की चूकों के निपटान के लिए किया जाएगा, जैसा कि खनिज विनिमय के चूक-उपचार तंत्र में निर्धारित है और इसमें ऐसी निधियां सम्मिलित होंगी, जिन्हें प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से खनिज विनिमय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(यक) "शेयरधारक निदेशक" से खनिज विनिमय के ऐसे निदेशक अभिप्रेत हैं जो शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे शेयरधारकों द्वारा चुने या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं;

(यख) "संव्यवहार फीस" से खनिज विनिमय पर संव्यवहार के लिए सदस्यों द्वारा देय फीस अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उनके उन अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए नियमों में है।

3. आवेदन.—(1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे—

(क) खनिज विनिमय;

(ख) सदस्यों, ग्राहकों, या परीक्षण अभिकरणों सहित सभी बाजार प्रतिभागियों पर;

(ग) प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित वस्तु के संबंध में वितरण-आधारित संविदा।

(2) ये नियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित प्रतिभूतियों, संविदाओं, वस्तु व्युत्पन्न या ऐसे अन्य उपकरणों पर लागू नहीं होंगे।

अध्याय 2

खनिज विनिमय

4. खनिज विनिमय के उद्देश्य.—खनिज विनिमय की स्थापना और संचालन निम्नलिखित प्रयोजनों के साथ की जाएगी, अर्थात्:—

(क) वस्तु आपूर्ति संविदाएं बनाना और ऐसी संविदाओं के संव्यवहार को सुगम बनाना;

(ख) निष्पक्ष, पारदर्शी, तटस्थ, कुशल और मजबूत मूल्य खोज और प्रसार सुनिश्चित करना; और

(ग) संविदा की शर्तों के अनुसार वस्तु की कुशल और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

5. खनिज विनिमय के कार्य.—एक रजिस्ट्रीकृत खनिज विनिमय निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य करेगा, अर्थात्:—

(क) इसमें विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए, नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार उप-नियम बनाना;

(ख) खनिज वस्तुओं में व्यापार कार्यों को विनियमित करना और मूल्य खोज के लिए पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करना;

(ग) सदस्यों के प्रवेश, निलंबन या निष्कासन के लिए प्रक्रिया स्थापित करना;

(घ) खनिज ग्रेडिंग, नमूनाकरण, परीक्षण, भार और वितरण के लिए मानक विनिर्दिष्ट करना;

(ङ) मार्जिन, वितरण दायित्व और डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग सहित निपटान और समाशोधन प्रक्रियाओं का निर्धारण करना;

(च) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा रिकॉर्ड और रिटर्न बनाए रखना;

(छ) कारोबार किए गए खनिज, उनके ग्रेड, मात्रा, कारोबार और प्रतिभागियों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाए रखना;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि अनुपालन और निगरानी प्रयोजनों के लिए सभी ट्रेडों की रिपोर्ट संबंधित विनियामक निकायों को दी जाए;

(झ) सदस्यों, ग्राहकों और अन्य पणधारियों के मध्य विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना;

(ञ) व्यापार समय, व्यापार दिन, व्यापार सत्र, अवकाश कैलेंडर और इसी तरह से संबंधित उपबंधों को विनिर्दिष्ट करना;

(ट) निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों को बढ़ावा देना और कपट, जोड़-तोड़ या अनुचित व्यापार पद्धतियों या मूल्य छल साधन या बाजार दुरुपयोग की रोकथाम करना और जहां आवश्यक हो वहां अनुशासनात्मक कार्रवाई करना;

(ठ) अनुसंधान, सर्वेक्षण और बाजार अध्ययन करना और रिपोर्ट, बुलेटिन तथा विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रकाशित करना;

(ड) कार्टेलाइजेशन, इनसाइडर व्यापार, सर्कुलर व्यापार, मार्केट मैनिपुलेशन और किसी भी अन्य मामले की रोकथाम जो खनिज विनिमय के प्रतिभागियों के लिए हानिकारक है;

(ढ) इन नियमों तथा इनके अधीन जारी किए गए किसी भी उप-नियम अथवा निदेशों का उचित प्रशासन तथा प्रवर्तन सुनिश्चित करना;

(ण) यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्राहकों के पास खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 45 के अधीन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण हो;

(त) ऐसे अन्य कार्य जो इन नियमों अथवा इनके अधीन बनाए गए किसी अन्य उप-नियम के अनुसार खनिज विनिमय के प्रयोजन की पूर्ति के लिए आकस्मिक या सहायक हो सकते हैं और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अतिरिक्त कार्य।

6. खनिज विनिमय स्थापित करने के लिए पात्रता.—आवेदक को खनिज विनिमय के रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, अर्थात्:—

(क) यह निगमित या निगमित मानी जाने वाली शेयरों द्वारा सीमित कंपनी है;

(ख) यह डिम्यूटीलाइज्ड होगी;

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "डिम्यूटीलाइज्ड" पद से अभिप्रेत है कि आवेदक का स्वामित्व और प्रबंधन इन नियमों के अनुसार व्यापारिक अधिकारों से अलग है;

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु आवेदन करने की तारीख से ठीक पहले 30 दिनों के भीतर आने वाली किसी भी तारीख को आवेदक के पास लेखापरीक्षित विशेष बैलेंस शीट के अनुसार नियम 11 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शुद्धधन (नेटवर्थ) हो;

(घ) यह नियम 15 के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाएंओं को पूरा करते हैं; और

(ङ) यह नियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट स्वामित्व और नियम 14 में यथा विनिर्दिष्ट शासन संरचना से संबंधित अपेक्षाएंओं को पूरा करता है।

7. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन और दस्तावेज.—(1) खनिज विनिमय के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकारी को प्ररूप 1 में आवेदन करना होगा।

(2) आवेदक अनुसूची में विनिर्दिष्ट एकमुश्त, अप्रतिदेय आवेदन फीस का भुगतान करेगा और अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(क) कंपनी का ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने की तारीख से ठीक पहले तीस दिनों के भीतर आने वाली किसी भी तारीख को ऑडिट की गई विशेष बैलेंस शीट, जिसमें आवेदक का शुद्धधन (नेटवर्थ) दिखाई गई हो;

(ग) आवेदक की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट या लेखा परीक्षित खातों की प्रतियां या ऐसी कम अवधि, जिसके दौरान आवेदक निगमित रहा हो;

(घ) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित हों, अर्थात्:—

(i) प्रस्तावित खनिज विनिमय का गठन;

(ii) वित्तपोषण स्रोतों सहित व्यवसाय स्कीम;

(iii) प्रबंधन और प्रशासनिक संरचना;

(iv) उपलब्ध या अधिग्रहित की जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाएं;

(v) विकास की समयरेखा, खनिज विनिमय की स्थापना और प्रचालन;

(ङ) इन नियमों के नियम 16 में यथा विनिर्दिष्ट पहलुओं को कवर करते हुए प्रस्तावित खनिज विनिमय के प्रारूप उप-नियम और प्रारूप व्यापार नियम;

(च) इन नियमों के नियम 19 के उपबंध के अनुसार निकासी स्कीम; और

(छ) कोई अन्य दस्तावेज, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना.—(1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के पश्चात् प्रमुख समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर खनिज विनिमय के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

(2) प्राधिकरण, ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि तक पणधारियों द्वारा टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन के अनुसार खनिज विनिमय के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए इसे प्राप्त आवेदन के मुख्य विवरणों को अधिसूचित करेगा।

(3) प्राधिकरण कोई भी टिप्पणी, आख्या, अधिक जानकारी या दस्तावेज मांग सकता है जो उचित समझा जाए, और आवेदक द्वारा ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर उसका उत्तर दिया जाएगा।

(4) प्राधिकरण, आवेदन पर उचित विचार करने के पश्चात् और इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि आवेदक इन नियमों के नियम 6 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, प्रस्ताव को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार को भेज सकता है या लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

(5) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (4) के अधीन प्राप्त किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है या अपना अनुमोदन दे सकती है और केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन मिलने पर प्राधिकरण आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटान इसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(7) प्राधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आवेदन प्रक्रिया के संबंध में इस नियम में विनिर्दिष्ट किसी भी समय-सीमा को, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के साथ, बढ़ा सकता है।

(8) खनिज विनिमय का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए होगा जब तक कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण पहले रद्द या समाप्त नहीं कर दिया जाता है।

(9) रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाण पत्र प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

9. गैर-रजिस्ट्रीकृत खनिज विनिमय प्रतिबंधित हैं.—(1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पहले खनिज विनिमय के प्रचालन की तारीख से छह माह के पश्चात् किसी भी गैर- रजिस्ट्रीकृत खनिज विनिमय का प्रचालन नहीं करेगा या सदस्य नहीं होगा।

(2) कोई भी वस्तु व्यापार प्लेटफॉर्म या बाजार स्थल, जो इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले प्रचालन में था, इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पहले खनिज विनिमय के प्रचालन में आने की तारीख से छह माह के भीतर इन नियमों के अधीन खनिज विनिमय के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा, अन्यथा ऐसा प्लेटफॉर्म या बाजार स्थल प्रचालन में नहीं रहेगा।

10. रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण.—(1) प्राधिकरण, प्ररूप-1 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में खनिज विनिमय द्वारा दायर आवेदन पर, इस संबंध में आवश्यक ऐसी पूछताछ करने के पश्चात् और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, रजिस्ट्रीकरण को पच्चीस वर्ष की और अवधि के लिए या ऐसी कम अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकता है जो प्राधिकरण उचित समझता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से कम से कम एक वर्ष पहले खनिज विनिमय द्वारा रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन उप-नियम (2) के अधीन प्रदान की गई समय अवधि के भीतर दायर नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इस देरी को माफ कर सकता है।

11. खनिज विनिमय की शुद्ध संपत्ति.—(1) खनिज विनिमय सदैव पचास करोड़ रुपये की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति रखेगा।

(2) यदि किसी भी समय किसी खनिज विनिमय की शुद्ध संपत्ति पचास करोड़ रुपये से कम हो जाती है, तो प्राधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, खनिज विनिमय को इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए स्तर पर शुद्ध संपत्ति को बहाल करने के लिए छह माह की अवधि की अनुज्ञा दे सकता है।

12. खनिज विनिमय की स्वामित्व संरचना.—(1) खनिज विनिमय में इक्विटी धारकों के लिए शेयरधारिता पैटर्न निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन होगा, अर्थात्:

क) खनिज विनिमय का कोई भी सदस्य या उसके ग्राहक, किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सहयोगियों, संबद्धों या व्यक्तियों के साथ मिलकर, खनिज विनिमय में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक अधिग्रहण या धारिता नहीं करेगा; और

ख) खनिज विनिमय का कोई भी सदस्य या उसके ग्राहक, कुल मिलाकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या सहयोगियों, संबद्धों या उनमें से किसी के लिए एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, खनिज विनिमय में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का उनचास प्रतिशत से अधिक अधिग्रहण या धारिता नहीं करेंगे।

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम और उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) में विनिर्दिष्ट है;

(2) किसी भी समय, खनिज विनिमय के सदस्य या उसके ग्राहक से भिन्न, खनिज विनिमय के रजिस्ट्रीकरण के पांच वर्ष पश्चात्, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सहयोगियों, संबद्धों या व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, खनिज विनिमय में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक अधिग्रहण या धारिता नहीं करेंगे।

(3) यदि किसी व्यक्ति ने खनिज विनिमय में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक प्राप्त कर लिया है या धारित कर लिया है, तो वह खनिज विनिमय के रजिस्ट्रीकरण के पांच वर्षों के भीतर पच्चीस प्रतिशत से अधिक अपनी शेयरधारिता को समाप्त कर देगा।

(4) खनिज विनिमय सार्वजनिक जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वार्षिक रूप से अपनी श्रेणी-वार शेयरधारिता पैटर्न प्रकाशित करेगा।

(5) खनिज विनिमय यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के अनुसार शेयरधारिता सीमाओं का अनुपालन किया जाए।

13. खनिज विनिमय के स्वामित्व के संबद्ध में जानकारी का प्रकटीकरण.—(1)खनिज विनिमय प्राधिकरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निम्नलिखित अवसरों पर किसी कंपनी में अपनी श्रेणी-वार शेयरधारिता पैटर्न और महत्वपूर्ण फायदाप्रद स्वामियों का खुलासा करेगा, अर्थात्:

(क) प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पहले उस वर्ष के 31 मार्च को उसकी श्रेणी-वार शेयरधारिता पैटर्न,

(ख) जब भी शेयरधारिता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, और

(ग) जैसा और जब प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया जाता है।

(2) खनिज विनिमय, आठ वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अपने शेयरों के निर्गमन या अंतरण से संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों का रख-रखाव रखेगा और संरक्षित करेगा तथा उन्हें निदेशानुसार प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।

14. खनिज विनिमय की शासन संरचना.—(1) बोर्ड में निम्नलिखित श्रेणियां सम्मिलित होंगी, अर्थात्:—

(क) शेयरधारक निदेशक;

(ख) स्वतंत्र निदेशक; और

(ग) प्रबंध निदेशक।

(2) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या खनिज विनिमय के बोर्ड में शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए:

परंतु इस प्रयोजन के लिए, प्रबंध निदेशक को शेयरधारक निदेशकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) खनिज विनिमय यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र निदेशकों का चयन विविध कार्य क्षेत्रों से किया जाए और किसी विशेष व्यक्ति के नाम को स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रस्तावित करने का निर्णय लेते समय, खनिज विनिमय निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) विधि, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, खनिज प्रशासन या खनिज बाजारों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में अर्हता रखने वाले व्यक्ति;

(ख) वित्त या लेखा में अनुभव और पृष्ठभूमि रखने वाला कम से कम एक व्यक्ति सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) प्रतिष्ठित संगठनों में वर्तमान में विश्वास और उत्तरदायित्व के पदों पर बैठे व्यक्ति या ऐसे पदों से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति;

(घ) जिन व्यक्तियों के वाणिज्यिक अनुबंधों और खनिज विनिमय के वित्तीय मामलों में रुचिपूर्ण पद होने की संभावना है, उन्हें बाहर रखा जाएगा;

(ड.) वे व्यक्ति जो खनिज विनिमय के प्रवर्तक इकाई के बोर्ड में निदेशक हैं, सम्मिलित नहीं होंगे;

(च) जो व्यक्ति खनिज विनिमय के किसी सदस्य या ग्राहक के साथ किसी भी न्यासीय संबंध में हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

(4) प्रबंध निदेशक खनिज विनिमय के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करेगा और उसके पास खनिज विनिमय के दिन-प्रतिदिन के मामलों के संबंध में सभी अधिकार होंगे।

(5) खनिज विनिमय के प्रबंध निदेशक या कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनिज विनिमय के किसी सदस्य या खनिज विनिमय के ग्राहक या प्रतिभागी या उसकी धारिता या सहायक कंपनी के साथ जुड़ा नहीं होगा।

(6) प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि खनिज विनिमय के सदस्यों की व्यक्तिगत बोलियों का विवरण निदेशक मंडल के साथ साझा नहीं किया गया है।

(7) शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों को खनिज विनिमय के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, उसके पश्चात् शेयरधारकों का अनुमोदन और प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) शेयरधारक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के निर्वाचन, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र और अवकाश की प्रक्रिया, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगी।

(9) खनिज विनिमय का कोई भी सदस्य या उनका ग्राहक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सहयोगियों, संबद्धों या संबंधित पक्षों के माध्यम से किसी भी खनिज विनिमय के निदेशक मंडल में नहीं होगा।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार उचित प्रक्रिया के पश्चात् निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(11) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए, या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए नियत की जाएगी, जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

(12) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति तीन वर्ष से कम और पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी।

15. बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता और निर्हता.—(1) खनिज विनिमय के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र, और निष्पक्षता, अखंडता और ईमानदारी का रिकॉर्ड होना चाहिए।

(2) विधि, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, प्रशासन या वस्तु बाजारों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में योग्यता रखने वाले व्यक्ति।

(3) किसी व्यक्ति को खनिज विनिमय के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति या निरंतरता के लिए निर्हित माना जाएगा, यदि वह व्यक्ति—

(क) किसी भी ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसमें नैतिक अधमता या अन्य कोई अपराध सम्मिलित है और छः मास से अत्यून कारावास से दंडित किया गया है तथा दोषसिद्धि की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है:

परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और उसके संबंध में सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी खनिज विनिमय में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) किसी विधि के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के पद पर बने रहने से निबंधित, प्रतिबंधित या वंचित किया गया है;

(ग) उसके विरूद्ध समापन कार्यवाही में सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकूल आदेश है;

(घ) एक अनुमोचित दिवालिया है;

(ड.) एक दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित करने के लिए आवेदन किया है और आवेदन लंबित है;

(च) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विक्रतचित पाया जाता है और निष्कर्ष प्रवर्त हैं।

(4) कोई भी व्यक्ति निदेशक की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से निर्हित है, वह खनिज विनिमय के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति या निरंतरता के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) यदि खनिज विनिमय का कोई शेयरधारक उप-नियम (3) में उल्लिखित किसी भी प्रकार से निर्हित है, तो ऐसा शेयरधारक या उसका नामांकित व्यक्ति खनिज विनिमय के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से वंचित रहेगा।

16. खनिज विनिमय के उप-नियम और व्यापार नियम.—(1) खनिज विनिमय, प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित अपने उप-नियमों और कारबार नियमों के अनुसार कार्य करेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे उप-नियमों और कारबार नियमों के एक भाग के रूप में सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं को विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना उप-नियमों और कारबार नियमों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

17. खनिज विनिमय के सदस्यों की पात्रता और रिपोर्टिंग.—(1) खनिज विनिमय का सदस्य बनने के लिए एक आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:—

क) आवेदक एक भारतीय नागरिक, फर्म, कंपनी या संस्था होगी जो उस समय पर लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

ख) आवेदक आर्थिक रूप से सुदृढ होना चाहिए और उसके पास डिफ़ॉल्ट, कपट या दिवालियापन का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए, संतोषजनक क्रेडिट रिकॉर्ड होना चाहिए;

ग) आवेदक खनिज विनिमय के नियमों, उप-नियमों, विनियमों और आचार संहिता का पालन करने के लिए लिखित में सहमत होगा;

घ) आवेदक के पास खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 45 के अधीन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी एक विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए, यदि उक्त नियम के अधीन कवर किया गया हो; और

ड.) आवेदक किसी भी अतिरिक्त शर्तों, अर्हताओं या मानदंडों को पूरा करेगा जो खनिज विनिमय या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) खनिज विनिमय के पास सदस्यता के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार या लिखित में लेखबद्ध ठोस कारणों के लिए अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

(3) खनिज विनिमय प्राधिकरण को अपने सदस्यों का विवरण प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां किसी सदस्य के लेनदेन में कोई विसंगति पाई जाती है, जो इन नियमों के उल्लंघन में है, तो प्राधिकरण, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, खनिज विनिमय को ऐसे सदस्य की सदस्यता को वंचित करने या रद्द करने का निदेश दे सकता है और ऐसा कोई भी निदेश इन नियमों के अधीन खनिज विनिमय के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा।

(5) प्राधिकरण खनिज विनिमय को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार टर्मिनलों और वस्तु व्यापार को संभालने वाले कर्मियों के लिए अर्हता परीक्षण प्रारंभ करने का निदेश दे सकता है।

(6) खनिज विनिमय, इसकी सदस्यता के लिए मानदंड निर्धारित करेगा जिसमें शुद्ध धन, न्यूनतम आधार पूंजी, आवश्यक प्रतिभूति जमा और तरल परिसंपत्ति का होना सम्मिलित है।

(7) खनिज विनिमय, खनिज विनिमय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मानदंड के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों सहित सदस्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों का रख-रखाव करेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे प्राधिकरण को, जब और जैसे आवश्यक हो, प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों का रख-रखाव खनिज विनिमय का सदस्य बने रहने के पश्चात् पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जाएगा:

परंतु प्राधिकरण आदेश द्वारा, दस्तावेजों के संरक्षण की अवधि को उन मामलों में बढ़ा सकता है जहां किसी सदस्य के खिलाफ कार्यवाही या जांच लंबित हैं।

18. फीस.—(1) खनिज विनिमय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट केवल एक बार रजिस्ट्रीकरण फीस, वार्षिक फीस और नवीनीकरण फीस का भुगतान करेगा।

(2) वार्षिक फीस प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक देय होगा।

19. खनिज विनिमय का बहिर्गमन.—(1) रजिस्ट्रीकरण के समय, खनिज विनिमय को इसके समापन या रजिस्ट्रीकरण रद्द होने की स्थिति में खनिज विनिमय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली बहिर्गमन स्कीम के लिए प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

(2) बहिर्गमन स्कीम निम्नलिखित प्रदान करेगी, अर्थात:—

(क) वह रीति जिससे खनिज विनिमय पर विद्यमान संविदा को बंद किया जाएगा या सभी संव्यवहारित संविदाओ के लिए उत्तरोत्तर स्कीम;

(ख) वह रीति जिसमें खनिज विनिमय लंबित मध्यस्थता मामलों, मध्यस्थता पुरस्कारों, देनदारियों या आकस्मिक प्रकृति के दावों या उसके पास लंबित निवेशक की शिकायत या शिकायत से संबंधित किसी भी दावे का निपटान करेगा;

(ग) डेटा माइग्रेशन, रिकॉर्ड प्रतिधारण, उपयोगकर्ता सूचना और उत्तराधिकारी या प्रशासक के नामांकन का उपबंध, यदि कोई हो; और

(घ) कोई अन्य मामला जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण बहिर्गमन स्कीम की समय-समय पर समीक्षा करेगा।

20. सदस्यों और ग्राहकों की शिकायत का निवारण.—(1) खनिज विनिमय एक शिकायत निवारण मंच का गठन करेगा, जिसके प्रमुख विनिमय के एक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

(2) खनिज विनिमय अपनी वेबसाइट पर सदस्यों और ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों और शिकायत के समाधान की स्थिति का विवरण प्रकट करेगा।

(3) खनिज विनिमय अपनी वेबसाइट पर अपना विवाद समाधान तंत्र और शिकायत समाधान के परिणाम का भी खुलासा करेगा।

(4) प्राधिकरण खनिज विनिमय की किसी विशिष्ट शिकायत के निवारण के बारे में जानकारी मांग सकता है।

(5) निवारण मंच के स्तर पर किसी भी अनसुलझी शिकायत को प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 3

अनुबंधों के घटक और प्रबंधन

21. मूल्य निर्धारण.—(1) मूल्य निर्धारण, खनिज विनिमय द्वारा एक ऐसे तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जो निष्पक्ष, तटस्थ, प्रतिस्पर्धी और उचित कीमत को सुनिश्चित करता है।

(2) किसी वस्तु की बोली और मूल्य निर्धारण, खनिज विनिमय के प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तंत्र के अनुसार की जाएगी।

22. निर्धारण और परिदान.—(1) लेन-देन का निर्धारण और परिदान, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा के अनुसार विक्रेता, क्रेता और अन्य संबंधित बाजार प्रतिभागी के मध्य समन्वय से किया जाएगा।

(2) प्रदत्त माल की क्वालिटी का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संविदा के अनुसार परीक्षण अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

23. संविदा और निपटान की शर्तें.—(1) संविदा को केवल संविदा में निर्धारित खंडों के अनुसार रद्द या कम किया जा सकता है।

(2) संविदाओं के लिए संव्यवहार से संबंधित भुगतानों का निपटान इन नियमों के नियम 33 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(3) व्यापार किए गए वस्तु की अंतिम कीमत निष्पादित संविदा की मूल्य समायोजन तंत्र के आधार पर व्यापार किए गए वस्तु की क्वालिटी के अनुसार और परीक्षण अभिकरण द्वारा जारी क्वालिटी और मात्रा प्रमाणन के अनुसार समायोजित की जाएगी।

(4) वास्तव में भेजी गई मात्रा और व्यापार की गई मात्रा के मध्य किसी भी भिन्नता का निष्पादित संविदा में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार निपटान किया जाएगा।

24. प्राधिकरण द्वारा संविदा का अनुमोदन या निलंबन.—(1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा या इस संबंध में किए गए आवेदन पर, किसी भी खनिज विनिमय को नई संविदा को पेश करने की अनुज्ञा दे सकता है:

परंतु खनिज विनिमय, पणधारी के साथ परामर्श के पश्चात्, पणधारियों के साथ परामर्श के विवरण और खनिज विनिमय के विचारों के साथ इसको सूचना के साथ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संविदा के प्रकार और विशेषता के अनुरूप नए बोली के प्रकार को पेश कर सकता है या मौजूदा बोली के प्रकार को संशोधित कर सकता है।

स्पष्टीकरण.—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, “बोली प्रकार” से प्रत्येक खनिज विनिमय पर की जानी वाली प्रत्येक संविदा के संबंध में लागू विनिर्देश द्वारा विशिष्ट बोली की श्रेणी अभिप्रेत है।

(2) उप-नियम (ठ) के अधीन एक नई संविदा पेश करने की अनुज्ञा चाहने वाले किसी भी खनिज विनिमय का पूर्ण और विस्तृत संविदा विनिर्देश प्राधिकरण को निम्नलिखित सहित प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:-

(क) संविदा का विवरण और प्रकार;

(ख) वस्तु , इसके ग्रेड सहित;

(ग) मूल्य निर्धारण पद्धति और प्रस्तावित मिलान नियम;

(घ) वितरण से पहले संव्यवहार सत्र की शुरुआत और कार्यकाल सहित संव्यवहार अवधि;

(ङ) जोखिम प्रबंधन तंत्र;

(च) मार्जिनिंग तंत्र;

(छ) समाशोधन तंत्र;

(ज) निपटान तंत्र;

(झ) वितरण तंत्र;

(ञ) क्वालिटी आश्वासन तंत्र;

(ट) संविदात्मक विचलन के लिए जुर्माना;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुबंधीय विचलन" से संविदा में सहमति व्यक्त की गई शर्तों, परिस्थितियों, विशिष्टताओं या दायित्वों से कोई प्रस्थान अभिप्रेत है।

(ठ) किसी अन्य पहलू, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उल्लेख किया गया है।

(3) प्राधिकरण, संबंधित खनिज विनिमय को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी संविदा के संव्यवहार को निलंबित कर सकता है या खनिज विनिमय से किसी भी संविदा को वापस ले सकता है।

(4) प्राधिकरण उप-नियम (2) के अधीन निलंबन या किसी संविदा को वापस लेने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और इसे खनिज विनिमय को सूचित किया जाएगा।

अध्याय 4

प्राधिकरण की भूमिका और कार्य

25. प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञों की नियुक्ति.—(1) प्राधिकरण उन विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो पहले से ही इसके द्वारा अपेक्षित सदृश विशेषज्ञ सलाहकार से संबंधित पैनल में हैं, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार का कोई भी मंत्रालय या विभाग; या

(ख) केन्द्रीय सरकार का कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम या केन्द्रीय सरकार का कोई सांविधिक या स्वायत्त संगठन।

(2) प्राधिकरण उन विशेषज्ञ को भी नियुक्त कर सकता है जो वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी परामर्शदाता की नियुक्ति की नीतियों और प्रक्रिया की नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् किसी भी पैनल में नहीं हैं।

26. खनिज विनिमय संव्यवहार फीस.—(1) खनिज विनिमय को प्राधिकरण को संव्यवहार फीस का विवरण प्रस्तुत करना होगा जो खनिज विनिमय द्वारा संविदाओं के प्रकार या संव्यवहार की मात्रा या संव्यवहार की अवधि या ऐसे अन्य कारकों के आधार पर लिया जाएगा जो विनिमय प्रचालन प्रारंभ होने से पहले खनिज विनिमय द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं, परंतु ऐसी संव्यवहार फीस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

(2) खनिज विनिमय को इसके प्रचालन प्रारंभ होने से पहले खनिज विनिमय द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी अन्य फीस या फीस का विवरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे फीस या फीस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

27. खनिज विनिमय के रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण.—(1) प्राधिकरण, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और खनिज विनिमय को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित कारणों के आधार पर प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहरित कर सकता है, अर्थात्:—

(क) अगर खनिज विनिमय का कामकाज इन नियमों या रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन है;

(ख) अगर खनिज विनिमय की शेयरधारिता इस नियमावली के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती है;

(ग) अगर खनिज विनिमय बाजार में हेर-फेर या आंतरिक व्यापार में लिप्त है;

(घ) अगर खनिज विनिमय की निवल मूल्य किसी भी समय नियम 11 में दिए गए राशि से कम हो जाती है और उसमें दी गई अवधि के भीतर जमा नहीं की गई है;

(ङ) अगर खनिज विनिमय प्राधिकरण के किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है;

(च) अगर खनिज विनिमय रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करता है।

(2) खनिज विनिमय के रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरित के बावजूद, ऐसे प्रतिसंहरित से पहले निष्पादित संविदा विधिमान्य रहेंगी और उनके निष्पादन को खनिज विनिमय द्वारा बहिर्गमन स्कीम के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।।

28. अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार.—जहां, जांच या हस्तक्षेप के दौरान, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, वहां प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात्, ऐसी जांच या हस्तक्षेप के समापन तक या अगले आदेश तक, अस्थायी रूप से किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से अवरुद्ध कर सकेगा।

29. निरीक्षण का अधिकार.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत खनिज विनिमय और उसका प्रत्येक सदस्य, ऐसे अवधि के लिए, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज बनाए रखेगा और संरक्षित करेगा, और यह सभी उचित समय पर, प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

(2) प्राधिकरण, किसी भी समय, अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी तीसरे पक्ष की अभिकरण के माध्यम से किसी भी खनिज विनिमय का निरीक्षण कर सकेगा, जांच कर सकेगा या संपरीक्षा कर सकेगा।

(3) जहां उप-नियम (2) के अधीन निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा खनिज विनिमय और उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी और उसका कोई अन्य कर्मचारी ऐसे निरीक्षण, जांच या संपरीक्षा के लिए सहयोग करेगा।

30. प्राधिकरण द्वारा निदेश.—(1) अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी, स्व-प्रेरणा से या किसी सूचना की प्राप्ति पर या किसी निरीक्षण, पूछताछ या जांच के लंबित रहने के दौरान या उसके पूरा होने पर, ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो वह प्रतिस्पर्धी वस्तु बाजारों को बढ़ावा देने के हित में उचित समझे।

(2) प्राधिकरण खनिज विनिमय से कोई भी जानकारी, दस्तावेज या रिकॉर्ड मांग सकेगा।

(3) प्राधिकरण, खदानों या खदानों के समूहों से कुछ खनिजों की नीलामी के लिए एक अलग विंडो या विंडो बनाने और संचालित करने के लिए खनिज विनिमय को निर्देशित कर सकेगा, जैसा कि इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा; और ऐसी नीलामी प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

31. केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश.—केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 5

जोखिम प्रबंधन

32. खनिज विनिमय द्वारा जोखिम प्रबंधन.—(1) खनिज विनिमय एक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित और कार्यान्वित करेगा और इसका ढांचा इस प्रकार होगा,—

(क) सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित हो, और

(ख) बाजार के बदलते जोखिम प्रोफाइल के प्रति गतिशील और उत्तरदायी बने रहें।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विकसित ढांचे के अनुपालन को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए, खनिज विनिमय बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन समिति का गठन करेगा।

(3) जोखिम आकलन और प्रबंधन समिति छह मास के अंतराल पर जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करेगी, विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई मास में।

(4) जोखिम आकलन और प्रबंधन समिति निदेशक मंडल को एक रिपोर्ट सौंपेगी, और निदेशक मंडल के निर्णय को सम्मिलित करते हुए, इसे क्रमशः, प्रत्येक वर्ष के मार्च और सितंबर के अंत तक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

33. समाशोधन और निपटान.—(1) खनिज विनिमय अपने उप-नियमों के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म या बाजार में किए गए

संव्यवहार की निकासी और निपटान से संबंधित अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(2) उप-नियम (1) के संदर्भानुसार पक्षों के मध्य संव्यवहार का निपटान अंतिम, अपरिवर्तनीय और ऐसे पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(3) खनिज विनिमय पर पार्टियों के मध्य संव्यवहार का अंतिम निपटान, परीक्षण अभिकरण द्वारा पुष्टि रिपोर्ट जारी करने के पश्चात्, सुसंगत संविदा के अनुसार किया जाएगा।

(4) खनिज विनिमय किसी सदस्य को व्यतिक्रमी घोषित कर सकेगा यदि ऐसा सदस्य,—

(क) खनिज विनिमय या उसके ग्राहक के प्रति अपने निपटान या निपटान दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है;

(ख) खनिज विनिमय या उसके ग्राहक के प्रति अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने या निर्वहन करने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करता है या प्रकट करता है;

(ग) खनिज विनिमय के कारण देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

(घ) खनिज विनिमय के उप-नियमों और कारबार नियमों में निर्धारित मध्यस्थता निर्णय का पालन करने में विफल रहता है; या

(ड़) खनिज विनिमय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।

(5) खनिज विनिमय, प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से, चूक करने वाले सदस्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए एक तंत्र तैयार करेगा।

34. निपटान गारंटी निधि का रखरखाव.—(1) प्रत्येक खनिज विनिमय एक निपटान गारंटी निधि स्थापित करेगा और इसकी देख-रेख करेगा, जो निष्पादित व्यापारों के निपटान की गारंटी देगा।

(2) खनिज विनिमय बोर्ड एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक निपटान गारंटी निधि प्रबंधन समिति का गठन करेगा और इसमें खनिज विनिमय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्मिलित होगा।

(3) निपटान गारंटी निधि प्रबंधन समिति गारंटी निधि के प्रबंधन की देखरेख के लिए उतरदायी होगी।

(4) निपटान गारंटी निधि प्रबंधन समिति में अंशदान, खनिज विनिमय और उसके सदस्यों द्वारा उस रीति से किया जाएगा, जैसा कि खनिज विनिमय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) निपटान गारंटी निधि में किसी कमी की स्थिति में, खनिज विनिमय उसे उस सीमा स्तर तक पुनः पूरित करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) खनिज विनिमय निपटान गारंटी निधि की आय को सुरक्षित निवेशों में निवेश करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि मूलधन जोखिम में न हो।

(7) निपटान गारंटी निधि की आय का कम-से-कम पचास प्रतिशत सुरक्षित और तरल निवेशों में रखा जाएगा, जिसमें अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमा, कोषागार बिल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियाँ सम्मिलित होंगी, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी।

(8) खनिज विनिमय वित्त वर्ष में निवेशित प्रारंभिक सुरक्षा जमा पर अर्जित प्रतिफल का कम-से-कम पचास प्रतिशत उस वित्त वर्ष की समाप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर अपने सदस्यों को वितरित करेगा।

(9) उप-नियम (8) के अधीन वितरण निम्न के अनुपात में किया जाएगा—

(क) सदस्य की प्रारंभिक सुरक्षा जमा; और

(ख) वह अवधि जिसके लिए उक्त जमा खनिज विनिमय के पास रखी गई थी।

(10) निपटान गारंटी निधि के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और विधियों का विनिर्देशन खनिज विनिमय के उपविधियों तथा व्यवसाय नियमों में किया जाएगा।

(11) निपटान गारंटी निधि के निवेश का विवरण खनिज विनिमय की वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

35. खनिज विनिमय की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और व्यापार प्रणाली.—(1) खनिज विनिमय एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली संचालित करेगा तथा अपने परिचालन हेतु नेटवर्क संचार का उपयोग करेगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा प्रविष्ट की गई बोली को, खनिज विनिमय की बोली-पुस्तिका में स्वीकार किए जाने से पूर्व, जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निधियों या संपार्श्विक की उपलब्धता के संदर्भ में सत्यापित किया जाएगा।

(3) बोलियों, बोलियों के मिलान तथा लेन-देन के निष्पादन का एक स्वचालित लेखा-परीक्षण अनुक्रम हेर-फेरी स्पष्ट नियंत्रणों, सुरक्षित समय समकालिकीकरण तथा परिभाषित अभिलेख अवधारण नीतियों के साथ बनाए रखा जाएगा, जिससे उसकी अखंडता और पहचान सुनिश्चित की जा सके।

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "स्वचालित लेखापरीक्षा अनुक्रम" से खनिज विनिमय के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली में सृजन, संशोधन या विलोपन सहित लेन-देन के पश्चात् की तारीख या समय में संदर्भ के लिए समय-अनुक्रमित रिकॉर्ड का स्वचालित निर्माण और संरक्षण अभिप्रेत हैं।

(4) मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का एल्गोरिद्म इन नियमों के नियम 21 में विनिर्दिष्ट अपेक्षा, खनिज विनिमय के उप-नियमों और कारबार नियमों में निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुरूप और निष्पक्षता, पारदर्शिता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र सत्यापन और वैद्यता के अधीन होगा।

(5) खनिज विनिमय को अपने संचालन की शुरुआत से पहले मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम की संपरीक्षा और उसके पश्चात्, कम से कम दो वर्ष में एक बार।

परंतु मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम या ट्रेडिंग सिस्टम में कोई भी भौतिक संशोधन होता है, तो प्रत्येक संशोधन के पश्चात् एल्गोरिदम की संपरीक्षा की जाएगी।

(6) उप-नियम (5) के अधीन संपरीक्षा के निष्कर्षों को एक निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें अवलोकन, जोखिम स्तर और की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख किया जाएगा।

(7) खनिज विनिमय द्वारा नियोजित मानव संसाधन एल्गोरिदम की संपरीक्षा में क्षमता रखेंगा और संबंधित उद्योग प्रमाणन धारण करेगा, जैसे सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और नियंत्रण संघ से प्रमाणित सूचना प्रणाली संपरीक्षा प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन निदेशालय के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।

(8) प्राधिकरण संपरीक्षा कर सकेगा या मूल्य निर्धारण के लिए खनिज विनिमय द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की संपरीक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसियों में से किसी अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा।

(9) खनिज विनिमय प्राधिकरण को परीक्षण मामलों और परिदृश्यों के परिणाम प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप से प्रलेखित और पता लगाने योग्य तरीके से प्रदान करेगा।

(10) खनिज विनिमय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समय-समय पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संपरीक्षा करेगा और सुरक्षा, अखंडता, प्रदर्शन और प्रणालियों के लचीलेपन को समाहित करते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून तक प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें लागू मानकों या दिशानिर्देशों के अनुसार भेद्यता आकलन और भेदन परीक्षण, अनुप्रयोग सुरक्षा और इसके जैसे आवश्यक तकनीकी आकलन सम्मिलित हैं, और इस तरह की संपरीक्षा अधिकृत तीसरे पक्षों द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

(11) खनिज विनिमय बोर्ड की मंजूरी से, साइबर हमलों और खतरों से अपने सिस्टम, नेटवर्क और डेटाबेस के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप साइबर सुरक्षा और साइबर रेजिलिएन्स फ्रेमवर्क को तैयार और कार्यान्वित करेगा, और सूचना के लिए प्राधिकरण को ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत करेगा।

(12) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का सुरक्षा संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन निदेशालय या भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के साथ सूचीबद्ध संगठन द्वारा किया जाएगा।

(13) खनिज विनिमय एक आपदा रिकवरी साइट और वैकल्पिक व्यापार सुविधा केन्द्र स्थापित और उसका अनुरक्षण करेगा जिससे आपातकाल की स्थिति में व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित हो सके और तत्परता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आपदा रिकवरी ड्रिल सहित ऐसी सुविधाओं का समय-समय पर परीक्षण कर सके।

36. खनिज विनिमय द्वारा बाजार पर्यवेक्षण.—(1) खनिज विनिमय दिन-प्रतिदिन के लेन-देन की देख-रेख और निगरानी करने और उप-नियम (7) में दिए विश्लेषण करने के लिए एक निगरानी विभाग स्थापित करेगा।

(2) खनिज विनिमय अपने प्लेटफॉर्म पर प्राप्त बोलियों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(3) खनिज विनिमय एक बाजार निगरानी समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी और इसमें खनिज विनिमय की कार्यकारी टीम के सदस्य सम्मिलित होंगे।

(4) बाजार निगरानी समिति का कोई भी सदस्य खनिज विनिमय का सदस्य नहीं होगा।

(5) खनिज विनिमय यह सुनिश्चित करेगा कि बाजार की निगरानी भौतिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र से की जाए जो अधिकृत कर्मियों के लिए प्रतिबंधित है।

(6) खनिज विनिमय उप-नियम (5) में संदर्भित कर्मियों की बातचीत की सूचना, डेटा सुरक्षा और ऑडियो रिकॉर्डिंग को दो वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखेगा और उन्हें प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसा निर्देशित किया जाए।

(7) निगरानी विभाग प्रतिभागियों के बोली पद्धति और लेन-देन का विश्लेषण करेगा और अपनी विश्लेषण तथा रिपोर्ट बाजार निगरानी समिति को सौंपेगा।

(8) बाजार निगरानी समिति प्रत्येक तिमाही के अंत के तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(9) उप-नियम (8) के अधीन रिपोर्ट में निम्नलिखित का विश्लेषण सम्मिलित होगा, अर्थात्:—

(क) एक विशिष्ट समय अवधि में खनिज विनिमय के सदस्यों की लेन-देन पद्धति;

(ख) कीमतों का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अस्थिरता विश्लेषण;

(ग) क्रेता और विक्रेता के मूल्य प्रवर्तन विश्लेषण;

(घ) बाजार सहभागियों द्वारा हावी होने की स्थिति;

(ङ) सर्कुलर व्यापार की निगरानी;

(च) खनिज विनिमय के सदस्यों की आकस्मिक उच्च लेन-देन की मात्रा;

(छ) खनिज विनिमय के किसी भी सदस्य द्वारा चूक;

(ज) दैनिक लेन-देन में बाजार संकेद्रण;

(झ) सीमांत क्रेता और विक्रेता, जिनकी मात्रा सीमा स्पष्ट थी।

(10) प्राधिकरण बाजार निगरानी समिति से अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा जिसमें असामान्य व्यापार पद्धति, मूल्य में असामान्य उतार-चढ़ाव या व्यापार व्यवहार, मात्रा में अचानक वृद्धि, सघनता या संभावित बाजार में हेर-फेर और इस तरह की विशिष्टताओं को उजागर किया गया है और दैनिक आधार पर या ऐसी छोटी अवधि पर कार्रवाई की गई है जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

अध्याय 6

डेटा सांझा करना

37. खनिज विनिमय द्वारा सूचना का प्रसार.—(1)खनिज विनिमय अपनी वेबसाइट पर सभी सुसंगत वेबसाइटों के लिंक प्रदर्शित करेगा।

(2) खनिज विनिमय अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं की कीमत, मात्रा, लेन-देन फीस और पूर्व कीमत के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा।

(3) खनिज विनिमय अपने वेबसाइट पर, मास के लिए कारोबार की गई कीमतों की अधिकतम, न्यूनतम और औसत तथा सभी प्रकार के संविदा के लिए पारित औसत मात्रा प्रकाशित करेगा।

(4) खनिज विनिमय प्रत्येक प्रकार की संविदा के लिए कुल मांग और आपूर्ति उतार चढ़ाव सहित डाटा टेबल को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

(5) खनिज विनिमय प्राधिकरण को मासिक आधार पर इसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूपों में सभी संव्यवहार का विवरण उपलब्ध करवाएगा।

(6) खनिज विनिमय, आवश्यक विश्लेषण के साथ सभी सहभागियों की बोलियाँ, और जब कभी भी इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(7) खनिज विनिमय देश भर में नियमित आधार पर, उपयुक्त माध्यमों के जरिए सदस्य या ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

38. **खनिज विनिमय द्वारा लेन-देन की रिपोर्टिंग.**—(1) खनिज विनिमय अपने प्लेटफॉर्म पर सभी लेन-देन का मासिक विवरण उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण, किसी भी समय आदेश द्वारा, खनिज विनिमय या किसी सहभागी को ऐसे प्रारूप में किसी भी मानदंड पर कोई आवधिक या एक-बारगी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे और ऐसी रिपोर्ट में सम्मिलित हो सकेगा,—

(क) सूचीबद्ध और असूचीबद्ध खनिज वस्तुएं;

(ख) नियमों और उप-नियमों में परिवर्तन;

(ग) शासी निकाय की संरचना में परिवर्तन;

(घ) सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई;

(ङ) सदस्यों और गैर-सदस्यों के मध्य विवादों की मध्यस्थता (प्रकृति और संख्या); या

(च) कोई अन्य जानकारी, डेटा या रिपोर्ट, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो।

(3) प्राधिकरण, आदेश द्वारा, उन प्रारूपों को विनिर्दिष्ट और समीक्षा कर सकेगा जिनमें से किसी भी जानकारी को खनिज विनिमय या किसी प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

39. वार्षिक रिपोर्ट.—खनिज विनिमय प्रत्येक वर्ष की 30 सितंबर तक अपने लेखापरीक्षित तुलन पत्र के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 7

बाज़ार पर्यवेक्षण

40. बाजार पर्यवेक्षण के उद्देश्य.—प्राधिकरण द्वारा बाजार के पर्यवेक्षण के उद्देश्य होंगे

(क) बाजार हेर-फेर, इन्साइडर व्यापार, कार्टेलाइजेशन और किसी भी बाजार सहभागी द्वारा प्रभावी पद के दुरुपयोग का पता लगाना और रोकना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि बाजार के सहभागियों को खनिज विनिमय की अखंडता और निष्पक्षता में विश्वास है; और

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कीमतें पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से निश्चित की गई हैं।

41. बाजार पर्यवेक्षण की प्रक्रिया.—(1) प्राधिकरण समय-समय पर और अपेक्षानुसार बाजार का पर्यवेक्षण करेगा।

(2) बाजार पर्यवेक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु सीमित नहीं होंगे, अर्थात्

(क) बाजार सहभागी के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया;

(ख) बाज़ार सहभागी से डेटा संग्रहण के लिए तंत्र;

(ग) बाजार सहभागी या किसी अन्य संस्था के ब्यौरे जो सूचना प्रस्तुत करेंगे:

(घ) उक्त खंड (ग) में विनिर्दिष्ट संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के ब्यौरे;

(ङ) सूचना की रिपोर्टिंग के लिए आवधिकता और प्रारूप;

(च) बाजार सहभागी द्वारा प्रस्तुत सूचना के किसी भी दुरुपयोग या अनधिकृत पहुंच को रोकने के उपाय;

(छ) बाजार सहभागी द्वारा प्रस्तुत डेटा के आधार पर विश्लेषण और बाजार निगरानी करना;

(ज) कोई अन्य सूचना जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी की भी स्थिति में जांच या अन्वेषण का आदेश दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) बाज़ार सहभागियों द्वारा सांविधिक बाध्यता का गैर अनुपालन, जिसमें सम्मिलित हैं,—

(i) इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन या गैर-अनुपालन;

(ii) इन नियमों के उल्लंघन के लिए जारी प्राधिकरण के आदेशों का गैर-अनुपालन; या

(iii) उप-नियम (2) के अधीन मांगी गई जानकारी या प्राधिकरण द्वारा मांगी गई किसी अन्य सूचना के विलंब या गैर-प्रस्तुतीकरण;

(ख) निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी में भी बाजार सहभागियों की भागीदारी, अर्थात्:—

(i) बाज़ार हेर-फेर;

(ii) कार्टेलाइजेशन का कोई रूप;

(iii) इन्साइडर व्यापार;

(iv) किसी बाजार सहभागी द्वारा प्रभावी पद का दुरुपयोग।

(4) जहां किसी खनिज विनिमय के मामलों के संबंध में या इस के संबंध में उसके किसी सदस्य के मामलों के संबंध में कोई जांच उप-नियम (3) के अधीन की गई है,—

(क) ऐसे खनिज विनिमय के सभी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी;

(ख) ऐसे खनिज विनिमय के सभी सदस्य;

(ग) यदि खनिज विनिमय का सदस्य एक फर्म है, तो फर्म का सभी भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; और

(घ) प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसने चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ व्यवसाय के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ लेन-देन किया है,

ऐसी सभी लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके संरक्षण या अधिकार में हैं, जो ऐसी जांच के विषय से संबंधित हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं और साथ ही जांच समिति को ऐसे किसी भी बयान या जानकारी के साथ विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करना होगा जो उनसे अपेक्षित हो।

42. प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप.—नियम 41 के अधीन किसी भी सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अपने स्वयं की पहल पर, प्राधिकारी, संबंधित बाजार भागीदार को उससे संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् और इस प्रकार प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा—

(क) संबंधित बाजार सहभागी को प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाले रिपोर्ट से उत्पन्न किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है; या

(ख) अधिनियम की धारा 25ख के अधीन मामले को निर्णय लेने वाले अधिकारी के पास दंड लगाने के लिए भेजा जाएगा; या

(ग) इन नियमों के नियम 3 में उल्लिखित किसी भी संविदा में संबंधित बाजार सहभागी को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भाग लेने से वंचित कर सकेगा; या

(घ) किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए खनिज विनिमय को निर्देशित करें; या

(ड़) इन नियमों के अधीन खनिज विनिमय का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द करें।

43. हस्तक्षेप के लिए अपेक्षित अन्य परिस्थितियाँ.—(1) प्राधिकरण, इस बात पर समाधान हो जाने पर कि नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में से कोई भी विद्यमान है या बाजार में होने की संभावना है, एक आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश दे सकेगा जो आवश्यक हो, अर्थात्:

(क) किसी वस्तु की कीमतों में असामान्य वृद्धि या कमी;

(ख) किसी वस्तु की कीमतों में अचानक या अनुचित उतार-चढ़ाव या अनुचित परिवर्तन और उच्च अस्थिरता; और

(ग) खनिज विनिमय पर अचानक उच्च संव्यवहार मात्रा।

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता के प्रतिकूल, प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा:

(क) खनिज विनिमय में किसी वस्तु की फ्लोर या कैप कीमत लागू करें;

(ख) कूलिंग ऑफ अवधि के लिए संव्यवहार कार्यकलापों को निलंबित करें (बढ़ी हुई अस्थिरता के मामले में):

(ग) खनिज विनिमय पर किसी विशिष्ट संविदा के संव्यवहार को निलंबित करें; या

(घ) खनिज विनिमय द्वारा लिए जाने वाले संव्यवहार फीस को विनियमित करें।

अध्याय 8

पुनरीक्षण

44. पुनरीक्षण के लिए आवेदन.—(1) यदि कोई बाजार सहभागी निम्नलिखित से व्यतिथ है,—

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश; या

(ख) प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके लिए निर्धारित समय के भीतर, किसी आदेश को पारित न करना,

उसे आदेश के संप्रेषण की तारीख से तीन मास के भीतर; या जिस तारीख को ऐसा आदेश पारित करने की समय अवधि समाप्त हो गई, किसी आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए इन नियमों के प्ररूप 2 में केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन के साथ आवेदन फीस के रूप में दस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट होगा जो 'भुगतान और लेखा अधिकारी, खान मंत्रालय' के नाम पर नई दिल्ली में या खान मंत्रालय के विनिर्दिष्ट बैंक खाते में बैंक अंतरण के माध्यम से देय हो:

परंतु ऐसे किसी भी आवेदन पर तीन मास की अवधि के पश्चात् विचार किया जा सकेगा, यदि आवेदक केन्द्रीय सरकार का समाधान कर दे कि उसके पास समय पर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन में सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्ष बनाया जाएगा।

(4) आवेदक, उप-नियम (3) के अधीन सम्मिलित किए गए उन पक्षकारों के लिए आवेदन की पर्याप्त संख्या में प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(5) आवेदन तथा उसकी प्रतियां प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार उप-नियम (3) के अधीन पक्षकार बनाए गए प्रत्येक पक्ष को आवेदन की एक प्रति भेजेगी तथा ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगी, जिसके भीतर या उससे पूर्व वह पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध, यदि कोई अभ्यावेदन हो, प्रस्तुत कर सके:

परंतु यह उपबंध किया जाता है कि यदि पुनरीक्षण आवेदन इस आधार पर दायर किया गया है कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, तो केन्द्रीय सरकार आदेश पारित करने से पूर्व उक्त प्राधिकारी को सुनवाई या मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी।

45. पुनरीक्षण आवेदन पर आदेश.—(1) नियम 44 के अधीन, पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, उसकी प्रतियां प्राधिकारी तथा इससे जुड़े सभी पक्षकारों को भेजी जाएंगी और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सूचना जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे अभिमत प्रस्तुत करें, जिन्हें वे उचित समझें; तथा प्राधिकारी और पक्षकार बनाए गए पक्ष, केन्द्रीय सरकार को अभिमत प्रस्तुत करते समय, उन अभिमतों की एक प्रति अन्य पक्षों को भी साथ-साथ प्रेषित करेंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी पक्ष से प्राप्त अभिमत अन्य पक्षों को भेजे जाएंगे, जिससे वे सूचना जारी किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे अतिरिक्त अभिमत प्रदान कर सकें, जिन्हें वे उचित समझें; तथा अतिरिक्त अभिमत प्रस्तुत करने वाले पक्ष उनकी प्रतियां सभी अन्य पक्षों को भी भेजेंगे।

(3) पुनरीक्षण आवेदन, अभिमतों और प्रति-अभिमतों से युक्त सूचनाएं, जिनका उल्लेख उप-नियम (1) और (2) में किया गया है, मामले के अभिलेख को तैयार करेंगे।

(4) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार आदेश की पुष्टि, संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकेगी या उससे संबंधित ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगी, जिसे वह न्यायसंगत और उपयुक्त समझे।

(5) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार पर्याप्त कारण होने पर, पुनरीक्षण आवेदन के अंतिम निस्तारण तक, उस आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन लगा सकेगी, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन किया जाएगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

46. प्ररूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश.—(1) इन नियमों के कार्यान्वयन और उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, नवीकरण, विवरणियां प्रस्तुत करने या तत्सम प्रकृति की विहित अपेक्षाओं के लिए जहां कहीं प्ररूप अपेक्षित हों, वे इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप प्राधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे।

अनुसूची

(नियम 7(2) और 18 देखें)

फीस

क्र.सं.	**प्रयोजन**	**रकम (रुपये में)**
(1)	(2)	(3)
1.	आवेदन फीस	₹3,00,000.00
2.	रजिस्ट्रीकरण फीस	₹50,00,000.00
3.	रजिस्ट्रीकरण खनिज विनिमय द्वारा वार्षिक फीस	₹30,00,000.00
4.	रजिस्ट्रीकरण खनिज विनिमय द्वारा नवीकरण फीस	₹2,00,00,000.00

प्ररूप- 1

(नियम 7(1) और 10(1) देखें)

खनिज विनिमय के *रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण* के नवीकरण हेतु आवेदन

सेवा में,

....

....

विषय :— खनिज **विनिमय** *के रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन।*

महोदय / महोदया,

विज्ञापन संख्या .... तारीख........................... के अनुसरण में,

खनिज विनिमय के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु / प्राधिकारी (भारतीय खान ब्यूरो) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या .... तारीख........................... के संदर्भ में, मैं / हम, ... (आवेदक / खनिज विनिमय का नाम और पता) की ओर से, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18ख में यथा परिभाषित खनिज विनिमय / खनिज विनिमय के रूप में, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन करते हैं।

2. खनिज विनिमय के गठन और प्रबंधन से सामान्यतः संबंधित नियमों, ज्ञापन और संबंधित अनुच्छेदों की दो प्रतियां तथा खनिज वस्तुओं के विनियमन हेतु उपविधियों की दो प्रतियां संलग्न हैं।

3. इस प्ररूप के उपाबंध में अपेक्षित समस्त आवश्यक जानकारी संलग्न है। कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि अपेक्षित हो, तो प्राधिकारी (भारतीय खान ब्यूरो) द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. हम / मैं / उक्त आवेदक / खनिज विनिमय की ओर से, उक्त अधिनियम की धारा 18ख तथा उसके तद्धिन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में अंतर्विष्ट या तत्पश्चात् विहित या अधिरोपित अन्य शर्तों और निबंधनों का पालन करने का वचन देते हैं।

5. आवेदन फीस हेतु कोषागार रसीद संख्या .... तारीख.................... रुपये की संलग्न है।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

खनिज विनिमय के रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन का उपाबंध

भाग-1 – साधारण

1. आवेदक / खनिज विनिमय का नाम
2. पता
3. स्थापना की तारीख
4. क्या आपका खनिज विनिमय एक संयुक्त उद्यम कंपनी है (सार्वजनिक या निजी) या लाभ के उद्देश्य से गठित कोई संघ है या अन्य किसी स्वरूप में संगठित है? यदि यह किसी अन्य आधार पर संगठित है, तो उसका उल्लेख किया जाए।

5. अपनी पूंजी संरचना का विवरण दें तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए खनिज विनिमय के लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों तथा लाभ-हानि खातों की तीन प्रतियां संलग्न करें।

भाग-2 — सदस्यता

6. क्या आप नए सदस्यों के नामांकन से पूर्व किसी न्यूनतम अर्हता और अनुभव की अपेक्षा करते हैं? यदि हां, तो उसका विवरण दें।
7. सदस्यों के विभिन्न वर्गों का, यदि कोई हों, उल्लेख करें तथा उनकी संख्या और प्रत्येक वर्ग को प्राप्त विशेषाधिकारों का विवरण दें। नए सदस्यों के विभिन्न वर्गों के प्रवेश हेतु आपके विनिमय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?
8. सदस्यों के विभिन्न वर्गों के संबंध में आपकी वार्षिक सदस्यता फीस की दरें क्या हैं?
9. क्या आप अपने सदस्यों से कोई प्रवेश या नामांकन फीस प्राप्त करते हैं? यदि हां, तो कितना?

भाग-3 — शासी निकाय

10. आपके शासी निकाय की वर्तमान संख्या क्या है? शासी निकाय की संरचना, प्रबंधन की शक्तियों, शासी निकाय के सदस्यों के पदावधि और उसके कार्य-संचालन की पद्धति का विवरण दें।

11. क्या आपके शासी निकाय में किसी व्यापार या वाणिज्यिक हित का प्रतिनिधित्व है? यदि हां, तो प्रतिनिधित्व किए गए हितों का विवरण दें।

12. क्या आपके यहां शासी निकाय की स्थायी या तदर्थ उप-समितियों की नियुक्ति का कोई उपबंध है? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की पद्धति, पदावधि, शक्तियों और कार्यों का विवरण दें।

13. अपने विनिमय के प्रमुख पदाधिकारियों के पदनाम, शक्तियां और कर्तव्यों का विवरण दें। यदि लागू हो, तो उनकी नियुक्ति की पद्धति, पदावधि और पारिश्रमिक का विवरण भी दें।

भाग-4 — व्यापार करना

14. कार्य-समय का विवरण दें।

15. क्या आप अपने सदस्यों के उपयोग हेतु संविदाओं के मानक प्ररूप निहित करते हैं? प्रत्येक ऐसे संविदा प्ररूप की एक प्रति संलग्न करें।

16. संविदाओं के आवधिक निपटान तथा उसके अधीन अंतर, माल की सुपुर्दगी तथा परिदान आदेशों के पारित किए जाने के लिए के लिए आपने क्या उपबंध किए हैं?

17. यदि आपके पास समाशोधन गृह है, तो आपके विनिमय के सदस्य ऐसे समाशोधन गृह के माध्यम से समाशोधित लेन-देन के संबंध में कौन-सी विवरणियां प्रस्तुत करते हैं? क्या विनिमय, समाशोधन गृह के बाहर निपटाए गए लेन-देन के संबंध में किसी नियमित विवरणी की अपेक्षा करता है? इस संबंध में प्रयुक्त प्ररूपों की एक प्रति प्रस्तुत करें।

18. आप निपटान की तारीख किस प्रकार निर्धारित, परिवर्तित या स्थगित करते हैं?

19. क्या आपके पास बाजार दरों के अभिलेखन और प्रकाशन, जिसमें प्रारंभिक, समापन, उच्चतम तथा न्यूनतम दरें सम्मिलित हैं, के लिए कोई व्यवस्था है?

20. क्या आप मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं विहित करते हैं? यदि हां, तो उसका विवरण दें।

21. क्या आप वस्तुओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते हैं? यदि हां, तो किस प्रकार तथा किन परिस्थितियों में?

22. विनिमय के नियमों और उपविधियों के समुचित अनुपालन को प्रवर्तित करने तथा सामान्यतः व्यापार आचरण के उचित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, आपके शासी निकाय के पास कौन-कौन सी अनुशासनात्मक शक्तियां हैं?

23. क्या आप अपने सदस्यों से ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने तथा उनके व्यवसाय से संबंधित ऐसी पुस्तकों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, जिनकी अपेक्षा आपका शासी निकाय करे?

24. क्या आप खनिज विनिमय में किए गए व्यवसाय के संबंध में, जिसमें समाशोधन गृह के माध्यम से निपटाए गए लेन-देन भी सम्मिलित हैं, यदि वह संधारित किया जाता है, कोई सांख्यिकीय विवरण प्रकाशित करते हैं? विवरण दें।

25. क्या आपके पास ऐसी कोई उपविधियां हैं, जिनका उल्लंघन किसी संविदा को अमान्य कर देता है?

भाग-5 — प्रकीर्ण

26. क्या आपके पास सदस्यों के मध्य तथा/अथवा सदस्यों और उनके घटकों के मध्य विवादों के मध्यस्थ निर्णय हेतु कोई व्यवस्था है? विवरण दें।

27. फ़ीसों, जुर्मानों और दंडों के अधिरोपण तथा वसूली के लिए आपने क्या उपबंध किए हैं?

प्ररूप- 2

[नियम 44(1) देखें]

पुनरीक्षण या आदेश पारित किए जाने हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

[पता]

मैं/हम निम्नलिखित आवेदन पुनरीक्षण/आदेश पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं जो आवश्यक समय अवधि के भीतर पारित नहीं किया गया।

क्र.सं.	**मदों का विवरण**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	आवेदक का नाम (फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ के मामले में, यथास्तिथि फर्म या व्यक्तियों के संघ का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम प्रदान करें)	
2.	आवेदक का पता (फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ के मामले में, यथास्तिथि फर्म या व्यक्तियों के संघ का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पता प्रदान करें)	
3.	• आवेदक की स्थिति • खनिज विनिमय • खनिज विनिमय के सदस्य • क्लाइंट • परीक्षण अभिकरण • खनिज विनिमय में संव्यवहार करने वाली कोई अन्य पार्टी • कोई अन्य इकाई, जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है	
4.	आवेदन का प्रयोजन (आदेश पारित करने की समीक्षा/ आदेश पारित करने का अनुरोध जहां ऐसा आदेश निर्धारित समय अवधि के भीतर पारित नहीं किया गया है)	
5.	किसी आदेश की समीक्षा के मामले में, आवेदक को आदेश के भेजने की तारीख या आदेश पारित करने के अनुरोध के मामले में, वह तारीख जिस पर ऐसे आदेश पारित करने की समय अवधि समाप्त हो गई	
6.	देय आवेदन फीस	
7.	बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट या चालान संख्या तारीख के साथ, जिसके माध्यम से आवेदन फीस का भुगतान किया गया है	
8.	क्या आवेदन विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है	हाँ/नही
9.	यदि नहीं, तो विहित सीमा के भीतर इसे प्रस्तुत नहीं करने और देरी के लिए क्षमादान की मांग करने के कारण	
10.	पक्षकार बनाए गए पक्षकार/ पक्षकारों का नाम और पूरा पता	
11.	संलग्न याचिका की प्रतियों की संख्या (यदि किसी पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो याचिका तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जानी है। इनके अतिरिक्त, पक्षकार बनाए गए प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जानी है)	
12.	पुनरीक्षण का आधार	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए मैं/हम तैयार हैं।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदकों के लिए निर्देश:

(क) यदि आवेदक कोई कंपनी हो, आवेदन पर आवेदक के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। यदि आवेदक कोई व्यक्ति है, तो आवेदक को स्वयं आवेदन पर हस्ताक्षर करने होंगे। फर्म या व्यक्तियों के संघ के मामले में, फर्म या व्यक्तियों के संघ का गठन करने वाले सभी व्यक्तियों को आवेदन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(ख) आवेदक (जो एक कंपनी है,) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का निर्गामन प्राधिकार आवेदन के साथ संलग्न होगा। ऐसे निर्गामन प्राधिकार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना पुनरीक्षण प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी।

[फा. सं. एम. VI -16/35/2026-खान VI]

कुलवीर सिंह यादव,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

G.S.R. 539(E).— In exercise of the powers conferred by section 18B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral Exchange Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) "assaying agency" means any third-party agency accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or the Department of Science and Technology or the Bureau of Indian Standards and empanelled or recognised by mineral exchange for collection, preparation, testing, analysis and documentation of commodity samples;

(c) "Authority" means the Indian Bureau of Mines;

(d) “bid” means the electronic document by which a member of mineral exchange submits the price, quantity, quality or any other specification in relation to a contract, for which it seeks to make a transaction;

(e) "board” means the board of directors of mineral exchange;

(f) “bye-laws” means the provisions relating to the basic framework formulated by a mineral exchange for the purpose of the management and trading at a mineral exchange, which are duly approved by the Authority;

(g) “cartelisation” means an act by market participant, whereby they limit or control or attempt to limit or control storage, transportation, distribution, marketing, sale, price, trade or transaction in commodity;

(h) “client” means an entity that has entered into an agreement with a member of a mineral exchange for the purpose of dealing through such member;

(i) “circular trading” means trading and transaction by a member or group of members, whereby, one or more entities of such member or group enter to buy bids and on the other side, one or more entities of the same member or group enter to sell bids or *vice versa*, with the intent to manipulate the price of commodity or to create an artificial market or to defraud or misuse the system;

(j) “clearing” means the process of determination of obligation of a member of mineral exchange resulting from the conclusion of a transaction at a mineral exchange;

(k) “commodity” shall mean all the minerals, its concentrate or its processed forms (including metals), other than those specified in Part A and Part B of the First Schedule to the Act;

(l) “company” means a company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(m) “contract” means any delivery-based contract approved by the Authority and is available for transaction at a mineral exchange;

(n) “Director” means a director as defined in clause (34) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(o) “Form” means a form appended to these rules;

(p) “independent director” means a director as defined in clause (47) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(q) “insider trading” means,—

(i) communicating, providing, or allowing access to any unpublished price sensitive information to any person, including an insider, except where such communication is in furtherance of legitimate purpose, performance of duty or discharge of any legal obligation; or

Explanation 1.— For the purposes of this sub-clause, “insider” means a person,—

(A) who is, or has been, during the six months prior to the concerned event, associated with mineral exchange, directly or indirectly, in any capacity, including by reason of frequent

communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a Director, officer or an employee of the mineral exchange or by holding any position, whether temporary or permanent, including a professional or business relationship with the mineral exchange, that allows such person, directly or indirectly, access to unpublished price-sensitive information relating to transactions on a mineral exchange; or

(B) who is in possession of, or has access to, unpublished price-sensitive information about transactions on a mineral exchange; or

(C) who has acquired unpublished price-sensitive information by commission of an offence under any of the laws for the time being in the country;

Explanation 2.— For the purposes of this sub-clause and sub-clause (ii) "unpublished price sensitive information" means any information relating to contract transacted on mineral exchange that is not generally available and which, upon becoming generally available, is likely to materially affect the price of contract and shall ordinarily include, but not restricted to, information relating to the contract approved by the Authority;

(ii) recommending any person, on the basis of unpublished price sensitive information, to acquire or dispose of any contract on the mineral exchange, to which that information relates;

(r) "managing director" means a Director as defined in clause (54) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(s) "market" means a platform where buyer and seller buy or sell commodity through mineral exchange;

(t) "market manipulation" means,—

(i) entering into any transaction on mineral exchange by any market participant, which—

(A) give, or is likely to give, false or misleading signal as to the supply of, demand for, or price of any of the contract;

(B) secure or attempt to secure, by any member of the mineral exchange or client, a relatively higher sale price while curtailing supply to other beneficiary entitled to receive the same commodity;

(ii) disseminating any information through media which give, or is likely to give, false or misleading signal as to the supply of, demand for, or price of any contract;

(u) "market participant" include—

(i) mineral exchange;

(ii) member of mineral exchange;

(iii) client;

(iv) assaying agency;

(v) any other party transacting at the mineral exchange; and

(vi) any other entity, as may be specified by the Authority;

(v) "member" means a person who has been granted trading right or clearing right or both the rights by mineral exchange in accordance with these rules, bye-laws and business rules of mineral exchange;

(w) "net worth" means the net worth as defined in clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(x) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(y) "settlement" means the process of discharging the obligation of member or client of such member resulting from conclusion of a transaction at mineral exchange;

(z) "settlement guarantee fund" means a fund created and maintained by mineral exchange, to be used for settlement of default of its member or client of such member, as stipulated in the default-remedy mechanism of mineral exchange and comprising of funds as may be determined by mineral exchange with prior approval of the Authority;

(za) "shareholder director" means a director of mineral exchange who represent the interest of shareholder and is elected or nominated by that shareholder;

(zb) "transaction fee" means the fee payable by member for transaction on mineral exchange.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the rules made thereunder shall have the same meaning respectively assigned to them in said Act or the rules.

3. Application.— (1) These rules shall apply to—

(a) mineral exchange;

(b) all market participant including member, client, or assaying agency;

(c) delivery-based contract in relation to the commodity, as approved by the Authority.

(2) These rules shall not apply to securities, contracts, commodity derivatives or such other instruments regulated by the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

CHAPTER II

MINERAL EXCHANGE

4. Objectives of mineral exchange.— The mineral exchange shall be established and operated with the following objectives, namely:—

(a) to design commodity supply contract and to facilitate transaction of such contract;

(b) to ensure fair, transparent, neutral, efficient and robust price discovery and dissemination; and

(c) to ensure efficient and timely supply of commodity in accordance with the terms of the contract.

5. Functions of mineral exchange.— A mineral exchange shall perform all or any of the functions,

namely: —

(a) make bye-laws in accordance with the procedure laid down hereunder, for performing such functions, as specified herein;

(b) regulate trading operation in mineral commodity and provide a transparent and efficient platform for price discovery;

(c) establish procedure for admission, suspension, or expulsion of member;

(d) specify standard for mineral grading, sampling, assaying, weighing, and delivery;

(e) determine settlement and clearing procedure, including margin, delivery obligation, and default handling;

(f) maintain record and return by member to ensure transparency;

(g) maintain a centralised database of mineral traded and grade, volume, trade and participant thereof;

(h) ensure that all trade is reported to the relevant regulatory body for compliance and surveillance purpose;

(i) establish dispute resolution mechanism between member, client, and other stakeholder;

(j) specify the provision related to trading time, trading day, trading session, holiday calendar, and the like;

(k) promotion of fair-trade practice and prevention of fraudulent, manipulative or unfair trade practice or price manipulation or market abuse and take disciplinary action where required;

(l) conduct research, survey and market study and publish report, bulletin and analytical insight;

(m) prevention of cartelisation, insider trading, circular trading, market manipulation and any other matter which is detrimental to the participant of mineral exchange;

(n) comply and ensure proper administration and enforcement of these rules and any by-law or direction issued under them;

(o) ensure that all client shall hold a valid registration issued by the Indian Bureau of Mines under rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017;

(p) such other functions as may be incidental or ancillary for fulfilling the purpose of mineral exchange in accordance with these rules or any other bye-law made thereunder and any additional functions as may be specified by the Authority.

6. Eligibility for registration of mineral exchange.— The applicant shall fulfil the following criteria for registration of mineral exchange, namely:—

(a) it shall be a company limited by shares incorporated or deemed to be incorporated;

(b) it shall be demutualised;

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the term "demutualised" means that the ownership and management of the applicant is segregated from the trading rights, in terms of these rules;

(c) it shall have a minimum net worth as specified in rule 11 as per the audited special balance sheet as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration;

(d) it shall satisfy the requirement specified under rule 15; and

(e) it shall satisfy the requirement relating to the ownership as specified in rule 12 and governance structure as specified in rule 14.

7. Application and documents to be submitted for registration.— (1) An application for registration of mineral exchange shall be made to the Authority in Form I.

(2) The applicant shall pay a one-time, non-refundable application fee as specified in the Schedule along with the following documents, namely:—

(a) Memorandum and articles of association of the company;

(b) audited special balance sheet as on any date falling within thirty days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration, showing the net worth of the applicant;

(c) copies of the annual report or audited accounts of the applicant for the last three years or such lesser period during which the applicant may have been incorporated;

(d) project report containing the following details, namely:—

(i) constitution of the proposed mineral exchange;

(ii) business plan, including funding sources;

(iii) management and administrative structure;

(iv) infrastructural facilities available or proposed to be acquired;

(v) timeline of development, setting up and operationalization;

(e) draft bye-laws and draft business rules covering aspects as specified in rule 16 of these rules;

(f) exit scheme as provided under rule 19 of these rules; and

(g) any other document, as may be specified by the Authority.

8. Grant of registration.— (1) The Authority shall publish advertisement seeking application for registration as mineral exchange in any leading newspaper and on the website of Authority with the prior approval of the Central Government.

(2) The Authority shall notify the salient details of the application received by it for registration as a mineral exchange pursuant to the advertisement on the official website inviting comments and suggestions by the stakeholders up to a period of thirty days from the date of publication of such notice.

(3) The Authority may call for comments, remarks, further information or documents as may be considered appropriate and the same shall be replied by the applicant within seven days from the date of receipt of the request.

(4) The Authority, after due consideration of the application and being satisfied that the applicant meets the eligibility criteria provided in rule 6 of these rules, may send a proposal to the Central Government for approval for the grant of registration or to reject the application for the reasons to be recorded in writing.

(5) The Central Government may refuse or grant its approval to a proposal received under sub-rule (4) and upon grant of approval from the Central Government, the Authority shall issue a certificate of registration to the applicant.

(6) An application for registration shall be disposed of within a period of ninety days from the date of its receipt.

(7) The Authority may, for the reasons to be recorded in writing, extend any of the timelines specified in this rule in relation to the application process, with the approval of the Central Government.

(8) The registration of a mineral exchange shall be for a period of twenty-five years from the date of issue of certificate of registration unless such registration is revoked or cancelled earlier.

(9) Every certificate of registration shall be published in the official website of the Authority.

9. Prohibition of unregistered mineral exchange.— (1) No person shall operate or be a member of any unregistered mineral exchange after six months from the date of operationalisation of the first mineral exchange registered under these rules.

(2) Any commodity trading platform or market place, which was under operation prior to the date of commencement of these rules shall obtain registration as mineral exchange under these rules within six months of the date of operationalisation of the first mineral exchange registered under these rules, failing which such platform or market place shall cease to operate.

10. Renewal of registration.— (1) The Authority may, on an application filed by mineral exchange in Form I, after making such inquiries as may be necessary in this regard and after obtaining such information as it may require, renew registration for a further period of twenty-five years or for a lesser period as the Authority consider appropriate.

(2) An application for renewal of registration shall be submitted by mineral exchange one year before the expiry of its registration.

(3) If an application for renewal of registration is not filed within the time period provided under sub-rule (2), the Authority may, for reasons to be recorded in writing, condone the delay.

11. Net worth of mineral exchange.— (1) A mineral exchange shall maintain at all times a minimum net worth of fifty crore rupees.

(2) In case the net worth of mineral exchange reduces at any time below fifty crore rupees, the Authority may, for the reasons to be recorded in writing, allow six months period to restore the net worth to the level provided in these rules.

12. Ownership structure of mineral exchange.— (1) The shareholding pattern for equity holders in a mineral exchange shall be subject to the following limits, namely:—

(a) any member of mineral exchange or its client shall not, at any time, directly or indirectly, either individually or together with associates, affiliate or persons acting in concert, acquire or hold more than five per cent. of the paid-up equity share capital in mineral exchange; and

(b) member of mineral exchange or its client shall not, in aggregate, directly or indirectly themselves or together with associates, affiliate or persons acting in concert for any of them, acquire or hold more than forty-nine per cent. of the paid-up equity share capital in mineral exchange.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule and sub-rule (2), "persons acting in concert" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of sub-regulation (l) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

(2) A person, other than a member of mineral exchange or its client, shall not, at any time after five years of registration of mineral exchange, directly or indirectly, either individually or together with associates, affiliate or persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital in mineral exchange.

(3) If any person has acquired or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital in mineral exchange, he shall divest his shareholding in excess of twenty-five per cent. within five years of registration of mineral exchange.

(4) The mineral exchange shall publish its category-wise shareholding pattern on its official website annually, for public information.

(5) The mineral exchange shall ensure compliance with the shareholding limits as per these rules.

13. Disclosure of information regarding ownership of mineral exchange.— (1) The mineral exchange shall disclose to the Authority its category-wise shareholding pattern and significant beneficial owners in a company in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 (18 of 2013) on the following occasions, namely:—

(a) on or before the 30th day of April of each year and its category-wise shareholding pattern as on the 31st day of March of that year;
(b) whenever there is a significant change in the shareholding; and
(c) as and when directed by the Authority.

(2) The mineral exchange shall maintain and preserve all documents and records relating to the issue or transfer of its shares for a period of not less than eight years and make them available to the Authority as and when directed.

14. Governance structure of mineral exchange.— (1) The board shall consist of the following categories, namely:—

(a) shareholder directors;

(b) independent directors; and

(c) managing director.

(2) The number of independent directors shall not be less than the number of shareholder directors:

Provided that for this purpose, the managing director shall be included in the category of shareholder directors.

(3) The mineral exchange shall ensure that the independent directors are selected from diverse fields of work and while deciding to propose name of a particular person as an independent director, it shall take into consideration of the following factors, namely:—

(a) qualifications in the area of law, finance, accounting, economics, management, mineral administration or any other area relevant to mineral market;

(b) at least one person shall have experience and background in finance or accounts;

(c) person holding position of trust and responsibility in reputed organisation or person who have retired from such position;

(d) person who is likely to have interested position in commercial contract and financial affair of mineral exchange, shall not be considered;

(e) person who is Director in the board of the promoter entity of mineral exchange, shall not be considered; and

(f) person who is in any fiduciary relationship with any member of mineral exchange or client, shall not be considered.

(4) The managing director shall function as the chief executive of mineral exchange and all powers in respect of day-to-day affairs of mineral exchange shall be vested with him.

(5) The managing director or any employee of mineral exchange shall not be directly or indirectly associated with any member of mineral exchange or client or participant of mineral exchange or with a holding or subsidiary company thereof.

(6) The managing director shall ensure that the details of individual bid of member of mineral exchange are not shared with the board.

(7) The name of person to be appointed as shareholder director shall be approved by the board, followed by shareholders' approval and shall be submitted to the Authority.

(8) The manner of election, appointment, tenure, resignation and vacation of shareholder directors and independent directors shall be governed by the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(9) No member of mineral exchange or its client shall be on the board directly or indirectly, including through associates, affiliates, or related parties.

(10) The name of person appointed as Director following due process as per the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall be submitted to the Authority.

(11) The appointment of an independent director shall be for a fixed term of three years, or for such extended period, as may be approved by the Authority.

(12) The tenure of the managing director shall be for a period not less than three years and shall not exceed five years.

15. Qualification and disqualification for appointment as Director on the board.— (1) A person to be appointed as Director on the board, shall have good reputation and character, and a record of fairness, integrity and honesty.

(2) A person to be appointed as Director shall have qualifications in the area of law, finance, accounting, economics, management, administration or any other area relevant to the commodity markets.

(3) A person shall be considered as disqualified for appointment or continuation as Director on the board, if he—

(a) has been convicted by a court for any offence, whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced for imprisonment for not less than six months and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence:

Provided that if a person is convicted of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of seven years or more, such a person shall not be eligible to be appointed as a Director in any mineral exchange;

(b) is restrained, prohibited or debarred from holding the post of Director in the board of a company by any other authority constituted under any law for the time being in force;

(c) has an adverse order against him by a competent court or tribunal in a winding up proceedings;

(d) is an undischarged insolvent;

(e) has applied to be adjudicated as an insolvent and the application is pending;

(f) is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force.

(4) A person who suffer from any of the disqualification for appointment as Director shall not be eligible for appointment or continuation as Director on the board.

(5) If any shareholder of mineral exchange suffers from any of the disqualification mentioned in sub-rule (3), he shall be debarred from being appointed as Director on the board.

16. Bye-laws and business rules of mineral exchange.— (1) The mineral exchange shall function in accordance with its bye-laws and business rules as approved by the Authority.

(2) The Authority shall specify various aspects to be covered as a part of bye-laws and business rules.

(3) Any amendment to the bye-laws and business rules shall not be carried out without prior approval of the Authority.

17. Eligibility and reporting of members of mineral exchange.— (1) An applicant shall meet the following eligibility conditions to become a member of mineral exchange, namely: —

(a) he shall be an Indian citizen, firm, company, or institution registered under the any law for the time being in force;

(b) he shall be financially sound and possess a satisfactory credit record, with no history of default, fraud, or insolvency;

(c) he shall agree in writing to abide by the rules, bye-laws, regulations, and code of conduct of mineral exchange;

(d) he shall hold a valid registration issued by the Indian Bureau of Mines under rule 45 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, if covered under the said rules; and

(e) he shall satisfy any additional conditions, qualifications, or criteria as may be specified by mineral exchange or the Authority.

(2) The mineral exchange shall have full discretion to accept or reject any application for membership for cogent reasons to be recorded in writing.

(3) The mineral exchange shall submit to the Authority the details of its members in the format specified by the Authority strictly in line with the provisions of these rules.

(4) Where any discrepancy is found in the transaction of a member, which is in contravention of these rules, the Authority may, after giving him an opportunity of being heard, direct mineral exchange to debar or revoke the membership of such member and any such direction shall be without prejudice to any action that may be taken against mineral exchange under these rules.

(5) The Authority may direct mineral exchange to introduce qualification test for personnel handling electronic trading terminals and trading in commodity.

(6) The mineral exchange shall stipulate criteria for its membership including net worth, minimum base capital, security deposit requirement and liquid asset requirement.

(7) The mineral exchange shall maintain supporting documents provided by the members for obtaining membership including the documents evidencing compliance with any criteria specified by mineral exchange and furnish it to the Authority as and when required and such documents shall be maintained up to a period of not less than five years after the member ceases to be a member of mineral exchange:

Provided that the Authority may by order, extend the period of preservation of documents in cases where proceedings or investigations are pending against the member.

18. Fees.— (1) The mineral exchange shall pay a one-time registration fee, annual fee and a renewal fee as specified in the Schedule.

(2) The annual fee shall be payable by the 30th of April every year.

19. Exit of mineral exchange.— (1) At the time of registration, mineral exchange shall obtain the approval of the Authority for an exit scheme to be implemented by mineral exchange in the event of its closure or revocation of registration.

(2) The exit scheme shall provide the following, namely:—

(a) the manner in which the running contracts on mineral exchange shall be closed or the succession plan for all transacted contract;

(b) the manner in which mineral exchange shall settle any claims pertaining to pending arbitration cases, arbitration awards, liabilities, or claims of contingent nature and unresolved investor complaint or grievance lying with it;

(c) provision for data migration, record retention, user notice and nomination of a successor or administrator, if any; and

(d) any other matter as may be specified by the Authority.

(3) The Authority shall undertake periodic review of exit scheme.

20. Grievance redressal of members and clients.— (1) The mineral exchange shall constitute a grievance redressal forum, headed by an independent director of the exchange.

(2) The mineral exchange shall disclose, on its website, the details of complaints lodged by members and clients and status of resolution of the grievance.

(3) The mineral exchange shall also disclose, on its website, the conflict resolution mechanism followed and the result of grievance resolution.

(4) The Authority may call for information on redressal of any specific grievance of mineral exchange.

(5) Any unresolved grievance at the level of the redressal forum shall be placed before the Authority.

CHAPTER III

COMPONENTS AND MANAGEMENT OF CONTRACTS

21. Price discovery.— (1) The price discovery shall be undertaken by mineral exchange through a mechanism that ensures fair, neutral, competitive and efficient price.

(2) The bidding and price discovery of a commodity shall be conducted in accordance with the mechanism approved by the Authority, based on the proposal of mineral exchange.

22. Scheduling and delivery.— (1) The scheduling and delivery of transactions shall be carried out in coordination between seller, buyer and other relevant market participant in accordance with the contract approved by the Authority.

(2) The quality of delivered commodity shall be verified by the assaying agency in accordance with the contract approved by the Authority.

23. Contract and settlement condition.— (1) A contract may be annulled or curtailed only in accordance with the clauses as stipulated in the contract.

(2) The settlement of payment pertaining to the transaction for contract shall be carried as provided under rule 33 of these rules.

(3) The final price of traded commodity shall be adjusted in accordance with quality of the commodity traded based on the price adjustment mechanism of contract executed and in accordance with the quality and quantity certification issued by the assaying agency.

(4) Any variance between the quantity actually dispatched and the quantity traded shall be resolved in accordance with the terms and conditions stipulated in the executed contract.

24. Approval or suspension of contract by the Authority.— (1) The Authority may, on its own or on an application made in this behalf, permit any mineral exchange to introduce new contract:

Provided that mineral exchange may, after consultation with stakeholder, introduce new bid type or modify existing bid type conforming to the type and feature of the contract approved by the Authority , under intimation to it along with the details of consultation with stakeholders and the views of mineral exchange.

Explanation.— For the purposes of this proviso, "bid type" means the category of bids distinguished by specification applicable in relation to each contract to be transacted on a mineral exchange.

(2) Any mineral exchange seeking permission to introduce a new contract under sub-rule (l), shall submit to the Authority complete and detailed contract specifications including the following, namely:—

(a) description and type of contract;

(b) commodity, including its grade;

(c) price discovery methodology and matching rules proposed;

(d) transaction period including commencement and tenure of transaction session before delivery;

(e) risk management mechanism;

(f) margining mechanism;

(g) clearing mechanism;

(h) settlement mechanism;

(i) delivery mechanism;

(j) quality assurance mechanism;

(k) penalty for contractual deviation;

Explanation.— For the purposes of this clause, "contractual deviation" means any departure from the terms, conditions, specifications or obligations agreed upon in a contract;

(l) any other aspects, as specified by the Authority.

(3) The Authority may, after granting the concerned mineral exchange the opportunity of being heard, by order, suspend transaction of any contract for the period specified in the order or withdraw any contract from mineral exchange.

(4) The Authority shall record in writing the reasons for suspension or withdrawal of any contract under sub-rule (3) and it shall be communicated to mineral exchange.

CHAPTER IV
ROLE AND FUNCTION OF AUTHORITY

25. Appointment of experts by Authority.— (1) The Authority may appoint experts who are already on the panel of the following with respect to similar expert advisory as required by it, namely:—

(a) any Ministry or Department of the Central Government; or

(b) any Central Government public sector enterprise or any statutory or autonomous organisation of the Central Government.

(2) The Authority may also appoint expert who is not on any panel after following the procedure specified in the manual of policies and procedure of employment of consultant issued by the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Expenditure.

26. Mineral exchange transaction fee.— (1) The mineral exchange shall be required to submit to the Authority the details of the transaction fee to be charged by mineral exchange based on types of contracts or quantum of transaction or duration of transaction or such other factors as may be proposed by mineral exchange before commencement of the exchange operation, provided that such transaction fee shall be subject to the maximum limit specified by the Authority.

(2) The mineral exchange shall be required to submit to the Authority the details of any other charges or fees to be charged by mineral exchange before commencement of its operation, provided that such charges or fees shall not exceed the maximum limits specified by the Authority.

27. Revocation of registration of mineral exchange.— (1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing and after giving mineral exchange an opportunity of being heard, revoke the registration granted on the following grounds, namely:—

(a) if the functioning of mineral exchange is in violation of any terms and conditions of these rules or terms of registration;

(b) if the shareholding of mineral exchange is in violation of the terms and conditions of these rules;

(c) if mineral exchange indulges in market manipulation or insider trading;

(d) if the net worth of mineral exchange reduces at any time below the amount as provided in rule 11 and has not been restored within the period provided therein;

(e) if mineral exchange fails to comply with any direction of the Authority;

(f) if mineral exchange makes an application for revocation of registration.

(2) Notwithstanding revocation of the registration of mineral exchange, contract executed prior to such revocation shall remain valid and their performance shall be ensured by mineral exchange through exit scheme or as directed by the Authority.

28. Power to issue interim orders.— Where, during an investigation or intervention, the Authority is satisfied that an act in contravention of these rules has been committed, is being committed or is about to be committed, the Authority may, by order, temporarily restrain any person from carrying on such act until the conclusion of such investigation or intervention or until further orders, after giving notice to such person.

29. Power of inspection.— (1) Every registered mineral exchange and every member thereof shall maintain and preserve, for such period as may be specified by the Authority, such books of account and other documents, and the same shall, at all reasonable times, be available for inspection by the Authority.

(2) The Authority may, at any time, undertake inspection, conduct inquiry or carry out audit of any mineral exchange, either through its officers or through a third-party agency.

(3) Where an inspection under sub-rule (2) is undertaken by the Authority, such mineral exchange and every Director, manager, officer and any other employee thereof shall cooperate for such inspection, inquiry or audit.

30. Directions by the Authority.— (1) Without prejudice to the exercise of its powers under the Act and rules made thereunder, the Authority may, *suo-motu* or on receipt of any information or during pendency of any inspection, inquiry or investigation or upon completion thereof, issue such directions as it deems fit in the interest of promoting competitive commodity markets.

(2) The Authority may call for any information, documents or records from mineral exchange.

(3) The Authority may direct mineral exchange to create and operate a separate window or windows for the auction of certain minerals from the mines or groups of mines as may be specified by the Authority and such auctions shall be conducted in accordance with the directions issued by it.

31. Direction by the Central Government.— The Central Government may give such directions to the Authority, as it may deem necessary to carry out the provisions of the Act or these rules.

CHAPTER V

RISK MANAGEMENT

32. Risk management by mineral exchange.— (1) The mineral exchange shall develop and implement a prudent risk management framework and such framework shall,—

(a) be based on best practices, and
(b) remain dynamic and responsive to the changing risk profile of the market.

(2) For the purposes of maintaining adherence to the framework developed under sub-rule (1), mineral exchange shall constitute a risk assessment and management committee headed by an independent director of the board.

(3) The risk assessment and management committee shall review the risk management framework at intervals of six months, specifically in January and July of each year.

(4) The risk assessment and management committee shall submit a report to the board of directors and together with the decision of the board of directors, it shall submit a report to the Authority not later than end of March and end of September of each year, respectively.

33. Clearing and settlement.— (1) The mineral exchange shall discharge its obligations relating to the clearing and settlement of transactions undertaken on its platform or marketplace in accordance with its bye-laws.

(2) The settlement of transaction between parties, as referred in sub- rule (1), shall be final, irrevocable and binding on parties.

(3) The final settlement of transaction between the parties on mineral exchange shall be effected in accordance with the relevant contract, subsequent to the issuance of the confirmation report by the assaying agency.

(4) The mineral exchange shall declare a member as a defaulter if such member,—

(a) fails to fulfill its clearing or settlement obligation towards mineral exchange or its client;

(b) admit or disclose its inability to fulfil or discharge its duties, obligations and liability towards mineral exchange or its client;

(c) fails to pay any sum due to mineral exchange;

(d) fails to abide by the arbitration award as laid down in the bye-laws and business rules of mineral exchange; or

(e) fails to abide by conditions as may be laid down by mineral exchange.

(5) The mineral exchange shall, with the prior approval of the Authority, devise a mechanism to fulfill the obligation of defaulting member.

34. Maintenance of settlement guarantee fund.— (1) Every mineral exchange shall establish and maintain a settlement guarantee fund, to guarantee the settlement of trades executed on it.

(2) The mineral exchange shall constitute a settlement guarantee fund management committee headed by an independent director of the board and shall include adequate representation from the members of mineral exchange.

(3) The settlement guarantee fund management committee shall be responsible for overseeing the management of settlement guarantee fund.

(4) The contribution to the settlement guarantee fund as provided in this rule shall be made by mineral exchange and its members in the manner as may be specified by mineral exchange.

(5) In case of shortfall in the settlement guarantee fund, mineral exchange shall replenish it to the threshold level as may be specified by the Authority.

(6) The mineral exchange shall invest the proceeds of settlement guarantee fund in safe investments and ensure that the principal amount is not at risk.

(7) Not less than fifty per cent. of the proceeds of settlement guarantee fund shall be kept in safe and liquid investments, including but not limited to fixed deposits with Scheduled Public Sector Banks, treasury bills and Government securities in accordance with the regulations of the Reserve Bank of India.

(8) The mineral exchange shall distribute to its members at least fifty per cent. of the return earned on the initial security deposit invested in the financial year, within forty-five days of the close of that financial year.

(9) The distribution under sub-rule (8) shall be made in proportion to—

(a) the initial security deposit of the member; and
(b) the duration for which such deposit was held with mineral exchange.

(10) The principles and methods governing the usage of the settlement guarantee fund shall be specified in the bye-laws and business rules of mineral exchange.

(11) The details of investment of the settlement guarantee fund shall be submitted to the Authority on an annual basis together with annual report of mineral exchange.

35. Information technology infrastructure and trading system of mineral exchange.— (1) The mineral exchange shall operate an electronic trading system and utilise network communication for its operations.

(2) The bid entered by a member shall be checked against availability of funds or collateral in the risk management system before it is accepted into the bid book of mineral exchange.

(3) An automated audit trail of bids, matching of bids and the execution of transactions shall be maintained with tamper-evident controls, secure time synchronisation, and defined retention policies to ensure integrity and traceability.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule "automated audit trail" means automated creation and preservation of a time-sequenced record of transaction, including creation, modification or deletion, in the electronic trading system of a mineral exchange for reference at later date or time.

(4) The algorithm of the software application used for price discovery shall comply with the requirement provided in rule 21 of these rules, the methodology set out in the bye-laws and business rules of mineral exchange and subject to independent verification and validation to ensure fairness, transparency, and robustness.

(5) The mineral exchange shall get the algorithm audited before the commencement of its operations and thereafter, at least once in two years:

Provided that if there is any material modification to the algorithm or trading system impacting price discovery, the algorithm shall be audited after each modification.

(6) The findings of the audit under sub-rule (5) shall be submitted to the Authority in a structured format indicating observations, risk levels, and corrective actions taken.

(7) The resources employed by mineral exchange shall possess competence in audit of algorithms and hold relevant industry certifications, such as Certified Information Systems Auditor credential from Information systems Audit and Control Association or be empaneled with the Standardization Testing and Quality Certification Directorate under the Ministry of Electronics and Information Technology.

(8) The Authority may conduct an audit or appoint an agency to conduct an audit of the software applications used by mineral exchange for price discovery from among accredited agencies.

(9) The mineral exchange shall provide to the Authority results of the test cases and scenarios as required by the Authority in a documented and traceable manner.

(10) The mineral exchange shall carry out periodic information technology system audit for-every financial year and shall submit the reports thereof to the Authority by the 30th June following the end of the financial year covering security, integrity, performance, and resilience of the systems, including necessary technical assessments such as vulnerability assessment and penetration testing, application security and the like, in accordance with applicable standards or guidelines, and such audit may be conducted by the authorised third parties.

(11) The mineral exchange shall with the approval of the board, formulate and implement a cyber security and cyber resilience framework to manage risk to its systems, networks and databases from cyber-attacks and threats aligned with national guidelines, and shall submit such framework to the Authority for information.

(12) A security audit of the information technology systems shall be carried out each year by an organisation empaneled with Standardisation Testing and Quality Certification Directorate or Indian Computer Emergency Response Team.

(13) The mineral exchange shall establish and maintain a disaster recovery site and alternate trading facility to ensure business continuity in event of an emergency and shall conduct periodic testing of such facilities, including disaster recovery drills, to ensure readiness and continuity.

36. Market surveillance by mineral exchange.— (1) The mineral exchange shall establish a surveillance department to carry out day-to-day monitoring and surveillance of transactions and to undertake analysis as provided in sub-rule (7).

(2) The mineral exchange shall ensure confidentiality of the bids received at its platform.

(3) The mineral exchange shall constitute a market surveillance committee which shall be headed by an independent director of the board and shall include members from the executive team of mineral exchange.

(4) No member of the market surveillance committee shall be a member of mineral exchange.

(5) The mineral exchange shall ensure that market surveillance is conducted from a physically secure area restricted for authorised personnel.

(6) The mineral exchange shall maintain information, data security, and audio recording of conversations of personnel referred to in sub-rule (5) for a period of two years and make them available to the Authority, if so directed.

(7) The surveillance department shall analyse the bidding patterns and transactions of participants and submits its analysis and report to the market surveillance committee.

(8) The market surveillance committee shall submit quarterly surveillance report to the Authority within thirty days after the end of every quarter.

(9) The report under sub-rule (8) shall include an analysis of the following, namely:—

(a) transaction pattern of members of mineral exchange over a specific time period;

(b) daily, weekly, monthly volatility analysis of prices;

(c) price setter analysis of buyer and seller;

(d) dominant position by market participant;

(e) monitoring of circular trading;

(f) sudden high transaction volumes of members of mineral exchange;

(g) default by any member of mineral exchange;

(h) market concentration in daily transaction;

(i) marginal buyer and seller, whose volume was cleared at the margin.

(10) The Authority may require the market surveillance committee to submit exception reports highlighting unusual trading patterns, abnormal price movements or trading behaviour, sudden spikes in volume, concentration, or potential market manipulation and the like and action taken by the exchange on a daily basis or such shorter period as may be specified by the Authority.

CHAPTER VI

DATA SHARING

37. Information dissemination by mineral exchange.— (1) The mineral exchange shall display on its website, links to all the relevant websites.

(2) The mineral exchange shall make available in its website in downloadable format regarding price, volume, transaction fee and historic price of commodities traded.

(3) The mineral exchange shall publish in its website, the maximum, minimum and average of the traded prices for the month and average volume cleared for all types of contracts transacted.

(4) The mineral exchange shall publish on its website, data tables displaying aggregate demand and supply curves for each type of contract.

(5) The mineral exchange shall provide to the Authority on a monthly basis, details of all transactions in the formats specified by it.

(6) The mineral exchange shall submit to the Authority, bids of all participants along with required analysis, as and when directed by it.

(7) The mineral exchange shall organise, on a regular basis, member or client awareness programmes across the country through suitable medium.

38. Transaction reporting by mineral exchange.— (1) The mineral exchange shall submit to the Authority, through a suitable electronic mode, monthly details of all transactions on its platform.

(2) The Authority may, at any time by order, direct mineral exchange or any participant to submit any periodical or one-time report on any parameter in such format as it may deem fit and such report shall include,—

(a) mineral commodities listed and de-listed;

(b) changes in rules and bye-laws;

(c) changes in the composition of the governing body;

(d) disciplinary action against members;

(e) arbitration of disputes (nature and number) between members and non-members; or

(f) any other information, data, or report, as may be required by the Authority.

(3) The Authority may, by order, specify and review the formats in which any of the information shall be submitted by mineral exchange or any participant.

39. Annual report.— The mineral exchange shall submit its annual report along with its audited balance

sheet by the 30th September of every year to the Authority.

CHAPTER VII

MARKET OVERSIGHT

40. Objectives of market oversight.— The objectives of market oversight by the Authority shall be,—

(a) to detect and prevent market manipulation, insider trading, cartelisation and abuse of dominant position by any market participant;

(b) to ensure that market participants have confidence in the integrity and fairness of mineral exchange; and

(c) to ensure that the prices are discovered in a transparent and competitive manner.

41. Procedure for market oversight.— (1) The Authority shall undertake market oversight periodically and as and when required.

(2) The market oversight shall include, but not limited to, the following, namely:—

(a) procedure for registration of market participant;

(b) mechanism for collecting data from market participant;

(c) details of market participant or any other entity who shall furnish information:

(d) details of information to be furnished by the entity specified in clause (c);

(e) periodicity and formats for reporting of information;

(f) measures to prevent any misuse of or unauthorised access to the information furnished by market participant;

(g) conducting analytics and market surveillance based on the data furnished by the market participant;

(h) any other information as may be required by the Authority.

(3) The Authority may order inquiry or investigation in the event of any of the following circumstances, namely:—

(a) non-compliance of the statutory obligations by market participants, including,—

(i) violation or non-compliance of any of the provisions of these rules;

(ii) non-compliance of the orders of the Authority issued for contravention of these rules; or

(iii) delay or non-submission of information sought under sub-rule (2) or any other information sought by the Authority;

(b) involvement of market participants in any of the following activities, namely:—

(i) market manipulation;

(ii) any form of cartelisation;

(iii) insider trading;

(iv) abuse of dominant position by any market participant.

(4) Where an inquiry in relation to the affairs of a mineral exchange or the affairs of any of its members in relation to it has been undertaken under sub-rule (3), —

(a) every Director, manager, secretary or other officer of such mineral exchange;

(b) every member of such mineral exchange;

(c) if the member of mineral exchange is a firm, every partner, manager, secretary or other officer of the firm; and

(d) every other person or body of persons who has had dealings in the course of business with any of the persons mentioned in clauses (a), (b) and (c), whether directly or indirectly,

shall be bound to produce all such books of account, and other documents in their custody or power, relating to or having a bearing on the subject-matter of such inquiry and also to furnish the inquiring committee within such time as may be specified with any such statement or information relating thereto as may be required of them.

42. Intervention by the Authority.— Upon receipt of any information or report under rule 41 or on its own motion, the Authority may, after giving concerned market participant an opportunity to make a representation in connection therewith and after considering representation, so made, by order—

(a) require the concerned market participant to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Authority may deem fit;

(b) refer the case to the adjudicating officer to impose penalty under section 25B of the Act;

(c) debar the concerned market participant from participating in any of the contracts provided in rule 3 of these rules for a period as may be specified by the Authority;

(d) direct mineral exchange to cancel membership of a member; or

(e) suspend or cancel the registration of mineral exchange under these rules.

43. Circumstances requiring intervention.— (1) The Authority may, on being satisfied that any of the below mentioned circumstances exist or is likely to occur in the market, by an order, give such directions as may be necessary, namely:

(a) abnormal increase or decrease in prices of a commodity;

(b) sudden or unreasonable fluctuation or unwarranted change in the price of a commodity and high volatility; and

(c) sudden high transaction volume on a mineral exchange.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Authority may, by order in writing:

(a) impose floor or cap price of a commodity in mineral exchange;

(b) suspend transaction activity for a cooling off period (in case of increased volatility);

(c) suspend transaction of any specific contract on mineral exchange; or

(d) regulate the transaction fee charged by mineral exchange.

CHAPTER VIII

REVISION

44. Application for revision.— (1) Any market participant aggrieved by,—

(a) any order made by the Authority in exercise of the powers conferred on it by or under the Act or the rules made thereunder; or

(b) non-passing of any order by the Authority in exercise of the powers conferred on it by or under the Act or the rules made thereunder, within the time specified therefor,

may, within three months of the date of communication of the order to him or from the date on which the time period for passing such order expired, apply to the Central Government to revise any order in Form II.

(2) The application shall be accompanied by a bank draft for rupees ten thousand as application fee drawn on a Scheduled Bank in the name of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Mines payable at New Delhi or by way of a bank transfer to the designated bank account of the Ministry of Mines:

Provided that any such application may be entertained after the period of three months if the applicant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not making the application within time.

(3) In every application under sub-rule (1) all necessary parties shall be impleaded as party.

(4) The applicant shall, furnish sufficient number of copies of application for those parties impleaded under sub-rule (3).

(5) On receipt of application and copies thereof, the Central Government shall send a copy of application to each of the parties impleaded under sub-rule (3) specifying a date on or before which he may make his representation, if any, against the revision application:

Provided that in case where the revision application has been filed for the reason that no order has been passed by the Authority within the time specified therefor, the Central Government shall before passing an order give the Authority an opportunity of being heard or to represent in the matter.

45. Orders on revision application.— (1) On receipt of an application for revision under rule 44, copies thereof shall be sent to the Authority and to all parties thereof calling upon them to make such comments as they may like to make within three months from the date of issue of the communication, and the Authority and the parties, while furnishing comments to the Central Government shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties.

(2) The comments received from any party under sub-rule (1) shall be sent to the other parties for providing further comments as they may like to make within one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall send them to all the other parties.

(3) The revision application, the communications containing comments and counter-comments referred to in sub-rule (1) and (2) shall constitute the records of the case.

(4) After considering the records referred to in sub-rule (3), the Central Government may confirm, modify or set aside the order or pass such other order in relation thereto as the Central Government may deem just and proper.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, the Central Government may for sufficient cause, pending the final disposal of an application for revision, stay the execution of the order against which any revision application has been made.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

46. Forms, procedure and guidelines.— (1) For the purposes of implementation of these rules and matters incidental thereto, the Authority may specify procedures, and guidelines.

(2) The forms wherever required for the prescribed requirements like application for registration, renewal, submitting returns or the like shall be prepared by the Authority in line with the provisions of these rules.

Schedule

(See rule 7(2) and 18)

Fee

S. No.	Purpose	Amount (in ₹)
(1)	(2)	(3)
1.	Application fee	₹3,00,000.00
2.	Registration fee	₹50,00,000.00
3.	Annual fee by registered mineral exchange	₹30,00,000.00
4.	Renewal fee by registered mineral exchange	₹2,00,00,000.00

Form I

(*See* rule 7(1) and 10(1))

Application for registration/ renewal of registration of a mineral exchange

To

....

....

Subject:— Application for registration/ renewal of registration of a mineral exchange.

Sir/Madam,

Pursuant to advertisement No.

.... dated ....for registration as mineral exchange / Certificate of registration No. ……

dated.............................. issued by the Authority (the Indian Bureau of Mines), we/ I on behalf of .... (name and address of applicant/ mineral exchange) being applicant for mineral exchange/ a mineral exchange as defined in section 18B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 hereby apply for registration/ renewal of registration for the purposes of the said Act.

2. Two copies of the rules, memorandum and articles of association relating in general to the constitution and management of the mineral exchange and two copies of the bye-laws for the regulation of mineral commodities are enclosed.

3. All the necessary information required in the Annexure to this Form is enclosed. Any additional information will be furnished as and when called for by the Authority (the Indian Bureau of Mines).

4. We/ I on behalf of the said applicant/ mineral exchange hereby undertake to comply with the requirements of section 18B of the said Act and rules made thereunder and such other conditions and terms as may be contained in the certificate of registration or be prescribed or imposed subsequently.

5. Treasury Receipt No. ......dated......for ₹….. for application fee is attached.

Yours faithfully,

Signature of applicant

Annexure to application for registration/renewal of registration of mineral exchange

Part I – General

1. Name of the applicant / mineral exchange.

2. Address.

3. Date of establishment.

4. Is your mineral exchange a joint venture company (whether public or private) or an association for profit or otherwise? If it is organised on some other basis, this may be stated.

5. Give details of your capital structure and attach three copies of the audited balance sheets and profit and loss account of the mineral exchange for the preceding three financial years.

Part II – Membership

6. Do you insist on any minimum qualifications and experience before enrolling new members? If so give details.

7. State the different classes of members, if any, the number thereof and the privileges enjoyed by each class. What is the procedure followed by your exchange for the admission of different classes of new members?

8. What are the rates of your annual subscription in respect of the different classes of member?

9. Do you collect any admission or entrance fees from your members? If so, how much?

Part III – Governing Body

10. What is the present strength of your governing body? Give details of the constitution, powers of management, of office of members of the governing body, and the manner in which its business is transacted.

11. Are any trades or commercial interest represented on your governing body? If so, give details of interests represented.

12. Do you have any provision for the appointment of standing or *ad hoc* sub-committees of the governing body? If so, furnish details of the method of their appointment, terms of office, powers and functions.

13. Give the designations, powers and duties of principal office-bearers of your exchange. If so, give details as to the mode of their appointment, tenure of office and remuneration.

Part IV – Trading

14. Give details of business hours.

15. Do you prescribe standard forms of contract for the use of your members? Attach one copy of each such contract form.

16. What provisions have you made for periodical settlement of contracts and differences thereunder, the delivery of, and the passing of delivery orders?

17. If you have clearing house, what returns do the members of your exchange submit regarding the transactions cleared through such clearing house? Does the exchange ask for any regular returns in respect of transactions settled outside the clearing house? Submit one copy of forms used in this connection.

18. How do you fix, alter or postpone the dates of settlement?

19. Have you any arrangements for recording and publishing market rates including opening, closing, highest and lowest rates?

20. Do you prescribe margin requirements? If yes, give details.

21. Do you prescribe maximum and minimum prices for commodities? If so, how and under what conditions.

22. What are the disciplinary power with the governing body to enforce due compliance by members of the rules and bye-laws of the exchange and generally to ensure proper standard of business conduct?

23. Do you require members to supply such information or explanation and to produce such books relating to their business as your governing body may require?

24. Do you publish any statistics in regard to business done on the mineral exchange including the transactions settled through the clearing house, if maintained? Give details.

25. Do you have any bye-laws contravention of which makes a contract void?

Part V – Miscellaneous

26. Do you have any machinery for arbitration of disputes between members and/or between members and their constituents? Give details.

27. What provisions have you made for the levy and recovery of fees, fines and penalties?

Form II

[See rule 44 (1)]

Format of application for revision or passing order

To

[Address]

I/We submit the following application for revision / passing of an order which has not been passed within the required time period.

S. No.	Item detail	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Name of applicant (In case of a firm or other association of individuals, provide names of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
2.	Address of the applicant (In case of a firm or other association of individuals, provide addresses of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
3.	Status of the applicant • Mineral exchange • Member of mineral exchange • Client • Assaying agency • Any other party transacting at the mineral exchange • Any other entity, as may be notified by the Authority	
4.	Purpose of the application (Review of an order passed / request for passing of an order where such an order has not been passed within the time period prescribed)	

5.	In case of review of an order, date of communication of the order to the applicant or In case of request for passing of an order, the date on which the date on which the time period for passing such order expired	
6.	Application fee payable	
7.	Name of bank, demand draft or challan number with date, through which application fee has been paid	
8.	Whether the application is filed within the prescribed time period	Yes/No
9.	If not, the reasons for not presenting it within the prescribed limit and seeking condonation of delay	
10.	Name and complete address of the party/ parties impleaded	
11.	Number of copies of petition attached (Petition is to be submitted in triplicate if no party is impleaded. Besides these, for each party impleaded one additional copy is to be enclosed)	
12.	Grounds of revision	

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of the applicant

Instructions to applicants:

(a) The application must be signed by a duly authorised representative of the applicant, in case the applicant is a company. In case the applicant is an individual, the applicant must personally sign the application. In case of a firm or association of individuals, all the persons constituting the firm or association of individuals shall sign the application.

(b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the revision authority.

[F. No. M.VI-16/35/2026-Mines VI]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.